IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta . .....Applicant

Versus

Union of India &Ors. ... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, BAGESHWAR, UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT MAGISTRATE, BAGESHWAR, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

P A P E R - B O O K

INDEX

Srl	Particulars	Pages
1.	Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee,Bageshwar, Uttarakhand through District Magistrate, Bageshwar, Uttarakhand in compliance of orders dated 05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in the abovementioned matter	4-29
2.	ANNEXURE-1: A true copy of the order dt.05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal.	30-40
3.	ANNEXURE-2: A copy of the Compliance Report alongwith its Annexures.	41-126

Filed by:

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/119/98

[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand / Respondent
C-203, LGF,
Defence Colony, N. Delhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

DOCUMENTS ENCLOSED WITH ANNEXURE-2

S.NO	DOCUMENT PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ANNEXURE-2(A) Gazette notification regarding Constitution of District Ganga Protection Committee as per para 53 (2) of the 2016 order with district magistrate as chairperson, ex-officio members and nominated members	41-43
2.	ANNEXURE-2(B) Minutes of meetings held under district Ganga committees.	44-75
3.	ANNEXURE-2(C) Copy of letter forwarded to the headquarters Uttarakhand Peyjal Nigam for creation of Phase-1 underground sewage system.	76
4.	ANNEXURE-2(D) Compliance report by General Manager, District Industries Centre, Bageshwar regarding NOC obtained by all industries from UKPCB and that no affluent is being discharged into water bodies.	77
5.	ANNEXURE-2(E) Departmental steps undertaken for flood plain zoning.	78
6.	ANNEXURE-2(F) Compliance report on maintenance of e-flow	79
7.	ANNEXURE-2(G) Steps Taken for solid waste disposal.	80-82
8.	ANNEXURE-2(H) Steps Taken to combat illegal mining.	83-84
9.	ANNEXURE-2(I) Report regarding construction of check- dams, Chal Khals and ponds for ground water conservation.	85-90
10.	ANNEXURE-2(J) Report on surface water quality characteristics of Rivers.	91

11.	ANNEXURE-2(k) Public awareness activities conducted by DGC, Bageshwar.	92-100
12.	ANNEXURE-2(L) Report on various events organized by DGC to promote afforestation and setting up of biodiversity parks.	101
13.	ANNEXURE-2(M) Appointment of nodal officer as per point no. 56 of the order.	102-105
14.	ANNEXURE-2(N) Tributary wise plan in district Bageshwar	106-126

24428

NOTARIAL NOTARIAL

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta . .....Applicant

Versus

Union of India &Ors. ... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, BAGESHWAR, UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT MAGISTRATE, BAGESHWAR, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

I, Anuradha Pal D/o Shri Satish Pal aged about 36 years, presently posted as District Magistrate, Bageshwar, District Bageshwar,Uttarakhand , do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Bageshwar,Uttarakhand through District Magistrate, Bageshwar,Uttarakhand.

2. That the abovementioned matter was listed on 05.09.2023 before this Hon'ble Tribunal and after hearing, this Hon'ble Tribunal was

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

pleased to pass a detailed order, the relevant portion of the same is quoted below:-

"……

"……

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.

3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

X XXXXX X XX

4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga

i. Chamoli

ii. Dehradun

iii. Haridwar

iv. PauriGarhwal

v. Rudraprayag

vi. Tehri

vii. Uttarkashi

Tributaries

viii. Nainital

ix. Almora

x. Pithoragarh

xi. Champawat

xii. Bageshwar

xiii. Udham Singh Nagar

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016. 6 6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:- I. Upper Himalayas (from source till Devprayag) II. Middle range (Devprayag till Rishikesh) III. Plains (Rishikesh to Roorkee) 7. The Counsel for the applicant in her submissions have rasied the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-

X xxxxxxxx

10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.

11. List this matter on 24.11.2023."

A copy of the order dated 05.09.2023 is annexed hereto and marked as ANNEXURE-1.

3. That in response to the Hon'ble Tribunal order dated 05.09.2023, it is submitted that District Bageshwar is part of KumaonCommissionery in the state of Uttarakhand. The district does not lie on/along the main stem of River Ganga, but two important tributaries of Ganga namely – Gomati and Saryu pass through the area of the District. Several other small streams and rivulets also drain their water in the abovementioned tributaries. Bageshwar, the district Headquarter is located at the confluence of Gomti and Saryu.

4. Roles and Responsibility of District Ganga Protection Committee under River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016, issued by Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Govt of India.

The Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

(Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016 under Environment (Protection) Act 1986 .

5. That in terms of para 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report.

   The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:

   53. Constitution of District Ganga Protection Committees

   1. The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for THE prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-

(a)the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;

(b)not more than two nominated representatives from Municipalities andGram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;

(c)one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;

(d)two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,

(e)one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, exofficio;

(f) one District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order: Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be."

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.- The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.

55. Functions and powers of District Ganga Committees.-

(1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection,

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of subparagraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order.

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

Clean Ganga and concerned State 4 Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

56. Designation of Nodal Officer.- (1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order — (a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries; (b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action. (3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans.- (1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval. (2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other 5 authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed. "

6. That in compliance of the abovementioned directions passed by this Hon'ble Tribunal, the following steps were taken by the District Ganga Committee, Bageshwar, as far as District Bageshwaris concerned:-

ISSUES RAISED BY APPLICANT ON MATTERS RELATED TO DISTRICT GANGA COMMITTEE DISTRICT BAGESHWAR:

The Counsel for the applicant in submissions has raised several issues relating to the three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand in Chart form. All the areas relating to the issues raised by the Counsel of the applicant lie outside the district of Bageshwar and as such no action is required to be initiated by the District Ganga Committee, Bageshwar on the issues raised.

REPORT ON IMPLEMENTATION ON 2016 ORDER

Sr. No.	Key paras of *River Ganga (Rejuvenation,*	Implementation by District Ganga Protection Committee

NOTARY (INDIA) GOVT. OF U.K.

	Protection and Management) Authorities order 2016 issued by Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Govt. of India, pertaining to District Ganga Committee's	
1	53. Constitution of District Ganga Protection Committees.-	(1) In exercise of power conferred by sub-sections(I) and (3) of Environment Protection Act 1986 and para 53 of the 2016 order, Central Government constituted District Ganga Protection Committee in District Bageshwar vide order S.O. 3485(E) [F. No Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II) dated 20th September 2021. A copy of the notification is **Annexed-2(A)**. (2) District Ganga Committees have been meeting regularly since the constitution of DGPCs in September 2021. In these meetings various aspects of control, abatement and management of pollution in river Ganga and its tributaries have been discussed in holistic manner. (3) As per directions given by NMCG, District Ganga Committee, District Bageshwar has been conducting their Monthly, Mandated,

NOTARY (INDIA) GOVT. OF U.K.

		Monitored, Minuted meetings(4M meeting) with the minutes being uploaded regularly on digital dashboard - Ganga District performance monitoring system (GDPMS). A copy of the minutes of meetings held so far is attached as **Annexure-2(B).**	
2	54. Superintendence, direction, and control of District Ganga Committee	The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee is being exercised byNational Mission for Clean Ganga through State Programme Management Group (SPMG), Namami Gange, Dehradun Uttarakhand. Meetings of Supervisory Committee and Executive Committee with Chairman of DGCs and representatives of different departments have been regularly convened under the Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand and Principal Secretary, Forest and Environment, Govt of Uttarakhand.	
3	55. Functions and powers of District Ganga Committees.	In respect of implementation of the provisions of the 2016 Authority Notification Order, Bageshwar District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of river Ganga and its tributaries. The key functions and powers of DGC as per the said order and its compliance are listed below-	
		a. Setting up of the STPs,Interception and Diversion (I&D) of drains and preventing untreated	Presently no sewage system is installed in the district. There are three urban centers requiring safe

		sewage and effluents in the River Ganga.	disposal of sewage – Bageshwar, Garur & Kapkot. For the city of Bageshwar a DPR for creation of Phase-I underground sewage system have been prepared. The DPR has been forwarded to the headquarters of Uttarakhand Peyjal Nigam vide letter no 2481/R-05/36 dated 30.08.2023 of Executive Engineer, Uttarakhand Peyjal Nigam Bageshwar. A copy of the letter is attached as **Annexure – 2(C).** Work for Phase-II and the remaining other urban centers is ongoing. Presently no sewage is being discharged in the streams/water sources.
		b. Preventing discharge of industrial effluents in Ganga and its tributaries / drains by ensuring installation of proper functioning of ETPs/ CETPs.	General Manager, District Industries Centre, Bageshwar vide his letter No. 1163/N.G.T/2023-24 dated 19.11.2023 have reported that Bageshwar has 2464 Small and Medium scale industries.It is further informed that all the Industries have obtained NOC from Pollution Control Board and no industrial

			affluents are being discharged in rivers/ water sources. A copy of the latter dated 19.2023 is attached as **Annexure- 2(D).**
		c. Utilization of treated sewage, use of sludge as a manure and septage management.	Not applicable since the district does not have any treatment facility for sewage.
		d. Demarcation of flood plain zones and preventing encroachments thereof	The executive engineer, Irrigation Department, Bageshwar through his letter No. 114/si.kh.ba/ namami gange dated 20/11/2023 has reported that Flood plain zoning work has yet not started in Bageshwar. Departmental procedures are ongoing to start the same. A copy of the letter is attached as **Annexure – 2(E)**
		(e) Maintenance of e-flow.	There are 2 functional hydroelectric projects on the upstream of river Saryu, near Kapkot. Ex En Irrigation, Kapkot vide his letter No memo /Si.Kh.k /vivid /kapkot dated

GOVT. OF U.K. (INDIA)

			19.11.2023 has reported that Environmental Flow (e-flow) monitoring facilities are presently not installed in the Projects but 15% of the catchment collection is being discharged to maintain e-flow. Copy of the letter dated 19.11.2023 Is attached as **Annexure-2(F).**
		f Preventing dumping of solid and other waste in and around Ganga.	Solid waste disposal in being undertaken in all the urban and rural areas of the district. Door to door collection and source segregation is being done. The whole exercise is being monitored by Nagar Palikas/ Nagar Panchayats in urban areas and by Swajal and Panchayat Raj in rural areas. In Bageshwar city 7.5 ton, in kapkot city 2.0 ton and in Garur city 1.5-2.0 ton waste is being collected per day. In all 79 Paryawaran Mitra and 56 women from SHG's are deployed for collection, and 09 vehicles are being

NOTARY (INDIA) GOVT. OF U.K.

			utilised for safe disposal of the solid waste. Executive officer, nagar Palika Bageshwar has provided a detailed report in this respect bearing No. Gyaap/2023-24 dated 18.11.2023 and the same is attached as **Annexure – 2(G)** to this report. Monitoring is also being done in the monthly meetings of DGC, Bageshwar. District Panchayat Raj Officer vide his letter No. 642/7-pan./rit/PIL/2023-24 dated 10/10/2023 has reported that Solid waste is disposed of in waste separation centers by Swajal and Panchayat Raj in all the Gram Panchayats of the district. Garbage vehicles have been provided through Swajal in all development blocks of the district.
		g. Clearing old legacy waste	Legacy waste in the city areas / water sources have

		dump sites.	been removed in the past through mass mobilization. After each rainy season the areas along streams are cleaned regularly by Nagarpalika and gram panchayats.
		h. Preventing and regulating illegal sand mining.	For effective control and prevention of illegal mining, District Anti Illegal Mining Force has been formed at the district level and tehsil level. The mining department along with the district level force has collected a sum of Rs. 1280348.00 in the year 2023-2024. A copy of the report in this regard by District Mining Officer of Bageshwar is attached as **Annexure-2(H).**
		Steps for conservation groundwater particularly with reference to critical, semi-critical and overexploited areas.	Ground water conservation and recharge works are regularly being carried out under different schemes of central and state government. Construction of check-dams, Chal-khals and ponds is being done for

GOVT. OF U.K. (INDIA)

			conserving water. In the year 2021-22 Bageshwar Forest Division made 197 water ponds, 306 chaal-khaak's and 113770 No's contour trences& in year 2022-23, 6 Amritsarovar's were made. A copy of the report by DFO Bageshwar is attached as **Annexure-2(I).**
		j. Restoration of water bodies	The district has wetlands in the Reserve forest areas which are being maintained by the forest department.
		k. Monitoring and displaying of water quality.	Regular monitoring of water quality is ensured by DGC by reviewing Surface water quality Characteristics of Rivers of District Bageshwar. Based on water quality data, as per CPCB mandated Designated Best Use(DBU) Water quality criteria standards the DBU water quality class is "B" for the monitoring station located in River Saryu D/S near Bilona bridge at

GOVT. OF U.K. (INDIA)

			Bageshwar, for month of April, May, June, July and August 2023. **Annexure-2(J)** Surface water quality characteristics of Rivers by Uttarakhand Pollution Control Board.
		l. Taking action against polluters by way of recovering compensation restoration the damage to the environment	Action against polluters is being under taken by the Nagar palika/ nagar panchayats in their respective jurisdiction. As per the report dated 18.11.2023 (already Annexed to this report) Nagar Palika Bageshwar has collected a fine of Rs.20000.00 against 20 challans, Nagar Panchayat Kapkot has collected a fine of Rs 5700.00 against 10 challans and Nagar Panchayat Garur has collected a fine of Rs. 4200.00 against 11 challans.
		m. Public awareness and involvement prevention and control of pollution of	Information, Education and Communication (IEC) Plan have been prepared by the

		Ganga.	DGC, Bageshwar. Several public awareness activities have been organized by Bageshwar District Ganga Committee. Some of them are listed below - I - Azadi ka Amrit Mahotsav 2- Mission Life 3- International Day of Yoga 4- Swachhta hi Seva 5- Har Ghar Har Ghat Tiranga 6- Ganga Arti 7- Cleanliness and Plantation Drive 8- Ganga Utsav 9- Swachhta Pakhwada **Annexure –2(K)** IEC Plan of district Bageshwar
		n. Regulating activities on and around river Ganga including ghats and other establishments	Ghats of the tributaries are regularly being monitored and taken care of by the Nagarpalikas/Nagar Panchayats. As per report dated 18.11.2023 (already Annexed to this report) Nagar Palika Bageshwar, Nagar Panchayat Kapkot and nagar panchayat Garur have deployed one

			Paryawaran Mitra each for upkeep and cleaning of Ghats in their respective jurisdiction.
		o. Afforestation and setting up of biodiversity parks.	DGC and its members have conducted various kind of plantation drive on the occasion of harela festival, Meri Mati Mera desh, Mission Life and other awareness programme. Forest department of the district carries our extensive plantation activities in the catchment areas as per working plan provisions. As per the report of DFO Bageshwar, in the planting season 2023, 8.119 lakh Plants in approximately 1363.924 hact area were planted by different departments in district Bageshwar. A copy of the report is attached as **Annexure-2(L).**
4.	56. Designation of Nodal Officer.-	Chairman, District Ganga Committee, Bageshwar through office order no 35 Dt. 17.10.2023 have nominated all the Gram Pradhans of the villages abutting the tributaries of river ganga as nodal	

		officer. For the rest of the areas the Executive Officers of the Nagar palikas/Nagar Panchayats have been nominated as nodal officers by order no 36Dt17.10.2023. A copy of the orders is annexed as **Annexure-2(M).** The nodal officers have been entrusted with responsibilities as per para 56 of 2016 order. It includes responsibilities and power to take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area.He shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.
1.	57. Preparation of plans-	As per directions of NMCG and State Programme Management Group, NamamiGange, a Tributary wise plan/presentation have been prepared by DGC, Bageshwar. A copy of the tributary plan is attached as **Annexure-2(N).** Also preparation of District Ganga Plan is underway. NMCG has conducted training cum workshops for preparation of District Ganga Plan(DGP) which have been attended by members ofDGC.

Report on issues raised by the Applicant

I. Upper Himalayas (from source till devprayag) – The area is outside District Bageshwar and as such no action taken report is required.

II. Middle Range (Devprayag till Rishikesh) - The area is outside District Bageshwar and as such no action taken report is required.

III. Plains (Rishikesh to Roorkee) - The area is outside District Bageshwar and as such no action taken report is required.

IV. List of Drains in Ganga River Region - No drain relates to District Bageshwar and as such no action taken report is required.

V. Industrial Estate in Ganga Basin – No industrial Estate as mentioned by the Counsel of the petitioner relates to District Bageshwar and as such no action taken report is required.

District Ganga Protection Committee, District Bageshwar is actively monitoring and undertaking efforts for rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries. The roles, responsibility and functions of District Ganga Committee as per 2016 order is being complied with. Various efforts are being taken in the district that address various issues raised in the submission of Counsel for the applicant.

The detailed Compliance Report by District Ganga Protection Committee, Bageshwar, Uttarakhand along with its Annexures is annexed hereto and marked as ANNEXURE-2.

7. In view of the facts and circumstances as explained hereinabove sincere efforts are taken by the District Ganga Protection Committee, District Bageshwar, in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be

GOVT. OF U.K. INDIA

accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above Status report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Bageshwar Uttarakhand on this 21 day of November, 2023.

DEPONENT

Filed by:

[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand / Respondent
C-203, LGF,
Defence Colony, N. Delhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

NOTARY GOVT. OF U.K. (INDIA)

21-11-2023

ANNEXURE - 1

Item No. 09 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(BY HYBRID MODE)

Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)

M.C. Mehta Applicant

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 05.09.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Ms. Katyayni, Adv. for Applicant

Respondent: Mr. Gigi C. George, Adv. for NMCG
Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand & SIDCUL
Mr. Mukesh Verma, Adv. for UKPCB

ORDER

1. This Original Application, registered after transfer of the CWP No. 2737/1985 from the Hon'ble Supreme Court, involves the issue of prevention, control and abatement of pollution of river Ganga. The Tribunal vide order dated 28.08.2023, had expressed that the matter will be heard State-wise/city-wise involving the State of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal.

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.

3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

> *"53. Constitution of District Ganga Protection Committees.- (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.*

(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-
(a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;
(b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;
(c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;
d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,;

(e) one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio
(f) one District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order: Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be."

***54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.**- The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.*

55. ***Functions and powers of District Ganga Committees.**- (1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.*

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order.

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State

Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

56. Designation of Nodal Officer.-

(1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order –

(a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries;

(b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.

(3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans.-

(1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval.

(2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other

authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed."

4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga

i. Chamoli
ii. Dehradun
iii. Haridwar
iv. Pauri Garhwal
v. Rudraprayag
vi. Tehri
vii. Uttarkashi

Tributaries

viii. Nainital
ix. Almora
x. Pithoragarh
xi. Champawat
xii. Bageshwar
xiii. Udham Singh Nagar

5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016.

6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:-

I. Upper Himalayas (from source till Devprayag)

II. Middle range (Devprayag till Rishikesh)

III. Plains (Rishikesh to Roorkee)

7. The Counsel for the applicant in her submissions have rasied the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-

I. **UPPER HIMALAYAS** (from source till Devprayag)

#	Cities / Panchayats	Issues
1.	**Bhagirathi Basin** i. Chirbasa ii. Gangotri iii. Dharali iv. Harshil v. Dharasu vi. Uttarkashi vii. Ghanshali viii. Narendra Nagar ix. Tehri	1. Receding glaciers which serves as the main source of fresh water supply for the Himalayan Rivers and their tributaries. Glacier retreat will directly impact- Food security, water security and energy security of the Northern part of the country. 2. Unregulated Tourism leads to traffic congestion, inadequate MSW waste management (plastic is a menace), sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well. **Gangotri-** Scientists from Wadia Institute of Himalayan Geology, (WIHG), an autonomous institution under Department of Science & Technology, in a study conducted at Chirbasa station near Gangotri Glacier, for the Year 2016, found that black carbon (BC) concentration in this region has changed drastically during summer. **Black carbon** is emitted as a result of incomplete combustion of fossil fuels, the use of brick kilns, household cooking with firewood and the burning of animal dung and coal briquettes. The combustion of fossil fuels in motor vehicles and aircrafts also contributes to the emission of black carbon. It was revealed by investigating the occasional high values of black carbon extricated, that the seasonal cycle of increase was significantly influenced by the emissions resulting from agriculture burning (in western part of the country), forest fires

#	Cities / Panchayats	Issues
		(along the Himalayan slopes) in summer, and to some extent by the contribution from long-range transport of pollutants in winter, depending the prevailing meteorological conditions. (As reported by WIHG, Ministry of Science & Tech, March 2020, PIB) 3. Ecological Flow not maintained at the upper stretches of River basins owing to Dams/ weirs/ barrages and erratic rainfall patterns and drying of natural springs. Deforestation may also be a reason for drying up of small/ local streams. 4. Sewage from Hotels/ dharmshalas and residences has increased with the high tourist footfall in these areas. 5. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals. 6. Narendra Nagar and Tehri- MSW disposal and legacy waste.
2.	**Alaknanda Basin** i. Mana village ii. Badrinath iii. Govindghat iv. Vishnuprayag v. Joshimath vi. Pipalkoti vii. Chamoli viii. Gopeshwar ix. Nandprayag x. Kaleshwar xi. Karnprayag xii. Gauchar xiii. Rudrapraya g xiv. Srinagar xv. Kirtinagar	1. Untapped Sewage 2. Municipal solid waste 3. High Tourist influx at all Prayags and Badrinath temple, leading to pollution (same as mentioned above) 4. Joshimath and Chamoli- are experiencing serious landslides and land subsidence problems. State government had to evacuate many villages owing to land sinking. 5. Srinagar- River Alaknanda runs dry during lean season (after the HEP) Sand mining at riverbed is also very rampant and unregulated (impacting river ecology, ground water in long run and availability of resource for inter- generational usage). 6. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.
3.	**Mandakini Basin** i. Kedarnath ii. Sonprayag iii. Phata iv. Ukhimath v. Augustmuni	1. High tourist footfall at Kedarnath and sonprayag. 2. MSW disposal- burning of waste (dumping in the valley) 3. Sewage disposal 4. Plastic waste and bottles 5. Donkey/ horse dung disposed in the valley 6. Floods/ landslides and avalanche- indicative of fragility of the region. 7. Phata- Landslide zone, unstable slope.
5.	**Yamuna Basin** i. Badkot	1. Mostly clean at Yamunotri.

#	Cities / Panchayats	Issues
	ii. Naugaon iii. Nainbagh iv. Vikasnagar v. Dhakrani	2. STP needed for towns/ panchayats with hotels and commercial buildings. 3. MSW disposal needed

II. **MIDDLE RANGE** (Devprayag till Rishikesh)

#	Cities/Panchayats	Issues
	Ganga Basin i.Devprayag ii.Kaudiyala iii. Singtali iv. Byasi v.Shivpuri vi.Rishikesh Tributary cities i. Almora ii. Haldwani iii. Kashipur iv. Sitarganj	1. Devprayag- Sewage/ FC. Status of STP operating and proposed. 2. Kaudiyala- Rishikesh: lots of hotels, tourists and related footprints, eg solid waste and sewage. Rishikesh also has SIDC Industrial Estate at Muni ki Reti. Tributaries cities- industrial and municipal/ legacy waste. Almora also witnesses mining issues. Agricultural run- off: Agricultural practices on the river bank may have considerable impact on contribution of pesticide residues such as total Endosulfan, Dieldrin and DDT.

III. **PLAINS** (Rishikesh to Roorkee)

#	Cities/Panchayats	Issues
	Ganga Basin i. Dehradun ii. Haridwar iii. Roorkie	1. Forest fires 2. water scarcity 3. sewage 4. MSW disposal 5. construction demolition waste 6. Industrial effluent discharge 7. Legacy waste 8. water consumption and waste water generation by Industries/ STPs and CETPs. 9. Mining

	Yamuna Basin i. Dehradun	1. Sewage 2. Industrial effluent discharge 3. MSW disposal 4. Assan river sand mining

8. The written submission also discloses the list of drains in Ganga River Rejuveation in Uttarakhand which is as under:-

LIST OF DRAINS IN GANGA RIVER REGION

Uttarkashi & Devprayag	1. Storm Water Drain Uttarkashi 2. Kodia nala Devprayag
Rishikesh	3. Triveni Drain/ Saraswati Nala 4. Rambha River 5. Lakkar Ghat STP Drain 6. IDPL- STP Drain 7. Swarg Ashram STP Drain 8. Gadhi Shyampur Drain
Haridwar	9. Jagjeetpur STP Drain 10. Kassavan Drain 11. Pandey wala Drain 12. Matri Sadan Drain
Laksar	13. Laksar Drain
Dehradun	

https://cpcb.nic.in/wqm/pollution-assessment-ganga-2013.pdf

9. According to the information catered by the applicant, following industrial estates have been set up in the Ganga basin:

INDUSTRIAL ESTATE IN GANGA BASIN

Integrated Industrial Estate	SIDCUL	Private Industrial Estate
• Integrated Industrial Estate, IIE Haridwar • Integrated Industrial Estate, Pantnagar • Integrated Industrial Estate, Kotdwar • Integrated Industrial Estate, Dehradun (IT Park) • Integrated Industrial Estate, Selaqui (Pharma City) • Integrated Industrial Estate, Kashipur (Escort Farm) • Integrated Industrial Estate, Sitarganj Phase II	• SIDC, Tatasu Mazadi, Karnaprayag • SIDC, Muni Ki Reti (Rishikesh) • SIDC, Selaqui (Dehradun) • Textile Park, Kashipur • SIDC Kashipur • SIDC-Haridwar-Site-II	• Dev Bhoomi Industrial Estate, Bantakhedi, Roorkee. • M/S Omega Industrial Estate, Dabhora, Ahatmali, Kashipur. • Raipur Co-operative Industrial Area, Raipur-Bhagwanpur, Roorkee. • M/S Mool Chand Industrial Estate PVt. Ltd, • M/S Gangapur Kashipur Industrial Area, Kashipur. • M/S Rajpur-Bhagwanpur Industrial Area, Bhagwanpur, Roorkee. • M/S Sara Industrial Estates Ltd. Shankarpur-Hukmatpur, Dehradun (Joint venture between IEL and SIIDCUL).

INDUSTRIAL & CETP PROFILE

Total Number of Industries, 2023	Total CETPs, 2023
12728 (890 water polluting)	3 CETPs- 1 CETP Pantnagar & 1 CETP US Nagar- non-compliant.

10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand

for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.

11. List this matter on 24.11.2023.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

September 05, 2023
Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)
SN

ANNEXURE - 2(A)

24465

रजिस्ट्री स. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

(1)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092021-229796
CG-DL-E-20092021-229796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3533] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 2021/भाद्र 29, 1943
No. 3533] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 2021/BHADRA 29, 1943

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2021

का.आ. 3845(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला बागेश्वर के लिए गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर- — अध्यक्ष;
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर- — सदस्य;
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागेश्वर- — सदस्य;
4. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर- — सदस्य;
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, बागेश्वर- — सदस्य;

6. अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर- सदस्य;
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर- सदस्य;
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, नैनीताल- सदस्य;
9. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बागेश्वर- सदस्य ;
10. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर- सदस्य संयोजक।

ख. नामित सदस्यगण

1. श्री कुंदर परिहार पर्यावरण विद्, बागेश्वर- सदस्य;
2. अध्यक्ष होटल एसोशिएसन, बागेश्वर- सदस्य;
3. डॉ. राजेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, बागेश्वर- सदस्य।

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऊपर उल्लिखित आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

रोजी अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक (वित्त)

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2021

S.O. 3845(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with paragraph 53 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in consultation with the Uttarakhand State Ganga Committee hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Committee for District Bageshwar comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

1. District Collector, Bageshwar- Chairperson;
2. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Bageshwar- Member;
3. Additional Chief Officer, District Panchayat, Bageshwar- Member;
4. Executive Engineer, Public Work Department, Bageshwar- Member;

5. Executive Engineer, Irrigation Division, Bageshwar- Member;
6. Executive Engineer, Uttarakhand Pey Jal Nigam, Bageshwar- Member;
7. Executive Officer, Nagar Palika Parhishad, Bageshwar- Member;
8. Regional Officer, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Regional Office, Haldwani, Nainital- Member;
9. Project Director, District Rural Development Agency, Bageswar- Member;
10. Divisional Forest Officer, Bageshwar Forest Division, Bageshwar- Member Convenor.

B. **Nominated Members:**

1. Shri Kundan Parihar, Environmentalist, Bageshwar- Member;
2. Chairman, Hotel Association, Bageshwar- Member;
3. Dr. Rajendra Singh, Social Worker, Bageshwar- Member.

2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of this notification.

3. The District Ganga Committee shall exercise such power and perform such functions as specified in the said order.

4. Travelling allowance or daily allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meeting as per the said order.

[F. No. Estt. 01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

ROZY AGARWAL, Executive Director (Finance)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 2021

का.आ. 3846(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला उधम सिंह नगर के लिए गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

क- पदेन सदस्यगण

1. जिलाधिकारी उधम सिंह नगर; अध्यक्ष;
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर; सदस्य;
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् किच्छा; सदस्य;
4. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर; सदस्य;
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, रूद्रपुर; सदस्य;
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रपुर; सदस्य;
7. अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल निगम, रूद्रपुर; सदस्य;

ANNEXURE-2(B)

24468

दिंनाक 26.10. 2023 को जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर।
जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बागेश्वर।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर।
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर/कपकोट।
अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता नगर पंचायत गरूड़/कपकोट।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिंनाक 26.10.2023 को जनपद बागेश्वर में गंगा समिति के सम्बन्ध में जिला सभागार बागेश्वर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को जिला गंगा समिति व राश्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के महत्व पूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराया गया तदोपरान्त समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पे चर्चा कि गई एवं विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिये गयेः–

A. Mandated Agenda :-

- **Progress of work/ O&M under Namami Gange:-**

  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों द्वारा अवगत कराया गया कि नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत बागेश्वर जनपद में कोई भी परियोजना संचालित नही है।
  - Strengthening of the DGCs in the State by engagement of manpower नमामि गंगे के कार्य हेतु जनपद अन्तर्गत एक परियोजना प्रबन्धन अधिकारी(DPO) की नियुक्ती पर आतिथि तक की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई। इस हेतु नामित समिति से चयन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिया गया।

    (कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर)

- **Identification and tapping; monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid waste into the river within the district boundary:-**

  - सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा जिले का ट्रीब्यूटरी प्लान तैयार किया गया है बैठक में अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रीब्यूटरी प्लान का पावर प्वाइंट प्रेजनटेंशन उनके द्वारा बनाया गया है।
  - नदियों के किनारे एकत्र लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के संबंध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बागेश्वर से प्रगति की जानकारी चाही गयी जो उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी। जिलाधिकारी महोदया द्वारा अभियान चलाकर कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बागेश्वर,)

❖ बागेश्वर मुख्यालय के सीवेज प्लान के फेज 1 के संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा जानकारी चाही गयी। अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि फेज 1 की स्वीकृति मुख्यालय स्तर से अपेक्षित है तथा फेज 2 हेतु कार्य प्रगति पर है।

(कार्यवाही जल संस्थान,पेयजल निगम,पर्यटन विभाग)

➢ **Arth Ganga:-**

❖ गंगा समिति के बैठक में अर्थ गंगा के 06 प्रमुख कार्यक्षेत्र/स्तम्भ में प्रस्तावित कार्यो की कार्ययोजना बनाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये गये थे बैठक के दौरान समस्त नोडल अधिकारीयों से कार्ययोजना की प्रगति के सम्बन्ध मे चर्चा की गयी।

❖ Empowered task force(ETF):– Empowered task force(ETF) में पूर्व मे हुई 11th meeting of the Empowered task force(ETF) में लिए गये निर्णयो के अनुपालन आख्या संबन्धित विभागों से मॉगी गई हैं। आतिथि तक नगर पालिका बागेश्वर कि सूचना प्राप्त हुई है। अन्य संबन्धित विभाग भी अति शीघ्र सूचना भेजे जिससे उच्च स्तर को सूचना प्रेषित कि जा सकें।

B. Seasonal agenda:-

➢ आई.ई.सी. कार्यक्रम :–

❖ प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गंगा समिति को कार्यकम निदेशक,राज्य,परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड भासन देहरादून सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के तहत दिनाकं 4 नवम्बर 2023 को राष्ट्रीय नदी, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता,निर्मलता एवं अविरल1712ता के प्रति जनमानस में जागरूकता के दृष्टिगत विभिन्न कार्यक्रत जनपद के अन्तर्गत कराये जाने है।

❖ जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर द्वारा जनपद बागेश्वर में दिनांक 4 नवम्बर 2023 को राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता,निर्मलता एवं अविरता के प्रति जनमानस में जागरूकता के दृश्टिगत विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई व सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो के अन्तर्गत जनपद में कराये जाने हेतु कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये। तथा दिनांक 4 नवम्बर 2023 को प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारीयों को नामित किया गया।

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमः–

दिनांक	स्थान	कार्यक्रम	कार्यक्रम नोडल अधिकारी
04.11.2023	बागेश्वर	वाद–विवाद	मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर
04.11.2023 सायः 5.30 बजे	बागेश्वर	गंगा आरती, दीप उत्सव गंगा भापथ, भजन संध्य/वेद पथ व सांस्कृति कार्यक्रम, घाट पर हाठ	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, बागेश्वर

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(उमेश चन्द्र तिवारी)
सदस्य सचिव जिला गंगा समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03@gmail.com

दूरभाश/फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं 05963–220249

पत्रांक 1712 /26–1 बागेश्वर, दिनांक : 27/10/2023।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी बागेश्वर महोदया को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपिः– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप, नमामि गंगे उत्तराखण्ड, 117,इंदिरा नगर,देहरादून पिनकोड 248006 को सूचनार्थ प्रेषित।

(उमेश चन्द्र तिवारी)
सदस्य सचिव जिला गंगा समिति/
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

NMCG.

24471

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति की माह सितम्बर 2023 की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक– 06.10.2023

उपस्थितिः–

1. मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई बागेश्वर।
3. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बागेश्वर।
4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, बागेश्वर।
5. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, बागेश्वर/कपकोट।

जिला गंगा समिति की माह सितम्बर 2023 की मासिक बैठक अध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 26.09.2023 को आहूत की गई। एन0एम0सी0जी0 द्वारा दिनांक 27.09.2023 को जिला गंगा प्लान की मार्ग निर्देशिका के विमोचन हेतु नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सदस्य सचिव सहित जिला गंगा समिति के दो प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में डी0जी0सी0 की पूर्व नियोजित बैठक निर्धारित तिथि को आयोजित नहीं की जा सकी तथा पुनः दिनांक 06.10.2023 को आयोजित की गई।

बैठक के प्रारम्भ में सर्वप्रथम सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति बागेश्वर/प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अध्यक्ष महोदया सहित समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष जिला गंगा समिति बागेश्वर/जिलाधिकारी बागेश्वर महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक का कार्यवृत्त निम्न प्रकार से है–

1. सर्वप्रथम जिला गंगा समिति बागेश्वर की मासिक बैठक दिनांक 26.07.2023 के कार्य बिन्दुओं/दिशा–निर्देशों के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा की गई तथा अध्यक्ष महोदया द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये।
2. Tributary Plan – अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संस्थान बागेश्वर द्वारा जनपद का संशोधित Tributary Plan प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदया द्वारा अवलोकन के उपरान्त कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा गया तथा अन्त में निर्देशित किया गया कि राज्य स्तरीय Supervisory committee के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु प्लान का पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन यथाशीघ्र तैयार कर जिला गंगा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाए।

   (कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संस्थान, बागेश्वर।)
3. **सीवेज प्लान–** अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संस्थान, बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय क्षेत्र बागेश्वर का जायका योजना के अन्तर्गत सीवेज प्लान तैयार कर लिया गया है तथा फेस–1 की स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर को प्रेषित किया गया है। फेस–1 के अन्तर्गत एस0टी0पी0 निर्माण हेतु सात स्थलों पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदया द्वारा अन्य नगरीय क्षेत्रों हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

   (कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संस्थान, बागेश्वर।)
4. **नगर निकायवार ठोस अपशिष्ट का उत्पादन/एकत्रीकरण /निस्तारण–** समिति में उक्त विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों से ठोस अपशिष्ट एकत्रीकरण हेतु वाहनों का रोस्टर निर्मित किया गया है तथा मौके पर सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदया द्वारा नदियों के किनारे वर्षा काल में एकत्रित बहकर आए कूड़े के एक माह के अन्दर एकत्रीकरण/निस्तारण के निर्देश अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका बागेश्वर को

दिये गये। अध्यक्ष महोदया द्वारा बागेश्वर नगर में कुछ स्थलों पर निषेध के बाद भी ठोस अपशिष्ट निस्तारण को गंभीरता से लिया गया तथा अधिशासी अधिकारी से संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका, बागेश्वर।)

5. **आई0ई0सी0 प्लान**– सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के आई0ई0सी0 प्लान के क्रियान्वयन हेतु एन0एम0सी0जी0 द्वारा रू 13.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। अध्यक्ष महोदया द्वारा धनराशि के उचित प्रयोग हेतु समय–सारणी निर्धारित करने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देशित किया गया कि आवश्यकतानुसार जिले के अन्य कार्यक्रमों के साथ इस हेतु डव–टेलिंग की जाए ताकि आम जनमानस तक प्रभावी ढंग से संदेश प्रेषित किये जा सकें।

(कार्यवाही–सदस्य सचिव डी0जी0सी0 एवं जिला पर्यटन अधिकारी, बागेश्वर।)

6. Flood plain zoning – सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तर पर नियुक्त परामर्शदाता द्वारा अभी जनपद में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

7. **जिला परियोजना अधिकारी की नियुक्ति**– सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जिला परियोजना अधिकारी के चयन हेतु उनके स्तर से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं परन्तु जनपद में उप–निर्वाचन के दृष्टिगत अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जा सकी। प्रकरण में चयन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ कर दी गई है।

अंत में सदस्य सचिव द्वारा समस्त प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति / प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfobag-forest-uk@nic.in

दूरभाष / फैक्स : 05963–220249 फैक्स नं0:–05963–220249

पत्रांक 1446 26-1 बागेश्वर , दिनांक : 06 / 10 / 2023।

प्रतिलिपिः – जिलाधिकारी बागेश्वर, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 1.कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप, नमामि गंगे उत्तराखण्ड, 117–इंदिरानगर, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2.समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, बागेश्वर।

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति / प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

दिंनाक 26.07.2023 को जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर।
जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बागेश्वर।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर।
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर/कपकोट।
अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता नगर पंचायत गरूड़/कपकोट।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिंनाक 26.07.2023 को जनपद बागेश्वर में गंगा समिति के सम्बन्ध में जिला सभागार बागेश्वर में मासिक समिक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम सदस्य सचिव/प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत किया गया तथा बैठक के ऐजेंडे से अवगत कराया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष जिला गंगा समिति/जिलाधिकारी बागेश्वर महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। बैठक का कार्यवृत्त निम्न प्रकार से है–

1- जिला गंगा समिति की दिनांक 16.06.2023 को आयोजित बैठक के कार्य बिन्दुओं/ दिशा निर्देशों के अनुपालन की समिक्षा की गयी तथा जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये।

2- Tributary plan– योजना के संबंध में अधिशासी अभियन्ता पेयजल संस्थान द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये प्रस्तुतिकरण की प्रति से अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया गया। चर्चा के दौरान पाया गया कि, परियोजना को अधिक विस्तृत रूप में तथा मुख्य जल स्रोत/नदियों के अनुसार बनाया जाना उचित है। इस संबंध में जिला चमोली द्वारा तैयार किये गये Tributary plan की प्रति को अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराया गया। उनके द्वारा जिला बागेश्वर के Tributary plan को एक सप्ताह के अन्दर अद्यतन करने का आश्वासन दिया गया।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता पेयजल संस्थान बागेश्वर)

3- **आई0ई0सी0 प्लान के कियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित करना**– अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि बागेश्वर जनपद अन्तर्गत आई0ई0सी0 प्लान के कियान्वयन हेतु जिला पर्यटन अधिकारी नोडल अधिकारी होगें।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता पेयजल संस्थान बागेश्वर)

4- **सीवेज प्लान**– बैठक में जिले के अन्तर्गत स्थित नगरीय क्षेत्रों हेतु पृथक सीवेज प्लान बनाने के संबंध में चर्चा की गयी। अधिशासी अभियन्ता पेयजल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि बागेश्वर नगर हेतु सीवेज प्लान निर्मित किया गया है तथा शेष नगरीय क्षेत्रों हेतु सीवेज प्लान तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है। उनके द्वारा यह भी अवगत करया गया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान में कोई सीवेज व्यवस्था स्थापित नही है। अध्यक्ष महोदया द्वारा सीवेज प्लान तैयार करने के कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता पेयजल संस्थान बागेश्वर)

5- **नगर निकायवार ठोस अपशिष्ट का उत्पादन/एकत्रीकरण/ निस्तारण**– प्रकरण में जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में की जा रही कार्यवाही के संबंध में अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया गया तथा कार्य में आ रही कठिनाईयों के संबंध में चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदया द्वारा जिला पंचायत पंचायती राज अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ठ के संग्रहण हेतु उपलब्ध कराये गये वाहनों के प्रभावी प्रयोग हेतु रोस्टर निर्मित कर कार्य करने के निर्देश दिये। उनके द्वारा नगर पालिका बागेश्वर को वर्षा काल में बह कर आये तथा नदियों के किनारों पर एकत्रित कूड़े को वर्षा काल के उपरान्त एक अभियान चलाकर साफ करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–जिला पंचायत राज अधिकारी बागेश्वर एवं अधिशासी अधिकारी न0पा0 बागेश्वर)

OK

6- Flood plain zoning– उक्त के संबंध में अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु राज्य स्तर पर परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी है। वर्तमान में वे अन्य जनपदों में उक्त कार्य निष्पादित कर रहें हैं। बागेश्वर जनपद में उनकी सेवायें उपलब्ध होने पर जनपद की Flood plain zoning का कार्य किया जायेगा।

7- अर्थ गंगा– बैठक में अर्थ गंगा के 06 प्रमुख कार्य क्षेत्रों/स्तम्भों तथा प्रत्येक स्तम्भ में अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा विस्तार से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया तथा संबंधित विभागों से निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित विभाग जनपद बागेश्वर)

8- **जिला परियोजना अधिकारी की नियुक्ति**– जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–1298/डी0एफ0ओ0/नमामिगंगे /2023 दिनांक 21.07.2023 से जिला गंगा समिति हेतु नमामिगंगे परियोजना के निदेशानुसार अनुबंध के आधार पर जिला परियोजना अधिकारी के चयन हेतु एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रकरण में आवश्यक निर्देश देते हुए समिति से चयन के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर)

9- **Empowered task force(ETF)**:– सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गंगा समिति बागेश्वर को Empowered task force(ETF) की 11th बैठक में लिए गये निर्णयो की अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना अपेक्षित है जिस हेतु संबन्धित विभागों से आख्या मॉगी गई थी। आतिथि तक नगर पालिका बागेश्वर कि सूचना प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदया द्वारा शेष विभागों को प्रस्ताव सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित विभाग)

10- **विविध**– बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि बैजनाथ मन्दिर समूह के समीप पर्यटन विभाग द्वारा विकसित सुविधाओं में व्यवहारिक परेशानियां आ रही है। अध्यक्ष महोदया द्वारा संबंधित विभागों से प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गयी। उनके द्वारा जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित पार्किंग स्थल को संचालन हेतु नगर पंचायत गरूड़ को हस्तगत किया जाय। नगर पंचायत इससे प्राप्त होने वाली आय से स्थल का रख–रखाव व सफाई आदि सुनिश्चित करेगी। अध्यक्ष महोदया द्वारा पर्यटक स्थल में निर्देशों के उपरान्त भी संकेत पट स्थापित न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा तात्काल निर्देशों का अनुपालन करने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–जिला पर्यटन अधिकारी एवं नगर पंचायत गरूड़)

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं 05963–220249

पत्रांक 503 / 26-1 बागेश्वर, दिनांक : 03/8 /2023।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप, नमामि गंगे उत्तराखण्ड, 117,इंदिरा नगर,देहरादून पिनकोड 248006 को सूचनार्थ प्रेषित।

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

दिंनाक 16.06.2023 को जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर।
जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर।
जिला सूचना अधिकारी।
जिला आयु0 एवं यूनानी अधिकारी बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बागेश्वर।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर।
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर/कपकोट।
अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता नगर पंचायत गरूड़/कपकोट।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिंनाक 16.06.2023 को जनपद बागेश्वर में गंगा समिति के सम्बन्ध में जिला सभागार बागेश्वर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करंते हुए जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के महत्व पूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराया गया तदोपरान्त समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पे चर्चा कि गई एवं विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिये गयेः–

A. Mandated Agenda :-

- Progress of work/ O&M under Namami Gange:-
  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों द्वारा अवगत कराया गया कि नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत बागेश्वर जनपद में कोई भी परियोजना संचालित नही है।

- Identification and tapping; monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid waste into the river within the district boundary:-
  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि State Program Managemaent Group (SPMG) द्वारा प्रत्येक जिला गंगा समिति को "tributary wise plan\presentation" बनाने हेतु निर्देशित किया गया है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण हेतु प्राकलन तैयार कर एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी को उपल्बध कराने के निर्देश दिये गये व ग्रामों एवं विद्यालयों में प्लास्टिक उन्मूलन हेतु समय–समय पर बैठक कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
  - जनपद अन्तर्गत गोमिती, सरयू, पिन्डर, गंगा की सहायक नदीयॉ है। उक्त नदियों में दिये गये निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान मे रख कर जल संस्थान

O/C

बागेश्वर, नगर पालिका परिषद बागेश्वर, पेयजल निगम बागेश्वर, सिंचाई विभाग को tributary प्लान को 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिए जाने के निर्देशित किया था। किन्तु उक्त प्लान आतिथि तक अप्रेषित है। अतः एक सप्ताह के अन्तर्गत tributary प्लान बनाने हेतु जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया। उक्त प्लान में निम्नलिखित बिन्दुओ को सम्मिलित किया जाएगा।

1- Detailed Gap analysis (capcity vs generation) of sewerage for each town falling along the river & and its tributaries with projections up to 2040.

2- Action plan to fill the capacity gap.

3- Detaill of the existing STPs their compliance status and plan for rehabilitation\up gradation (if required ad per CPCB\NGT norms).

4- Derailed status of ongoing pollution abatement work in the Basin.

5- Status of Industrial pollution In the basin.

6- Assistance required from GoI in General and from NMCG in particular.

7- IEC and public outreach activity in the Dsitrict.

(कार्यवाही जल संस्थान, नगर पालिका, पेयजल निगम,सिंचाई विभाग, नगर पंचायत गरूड़/ कपकोट, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर)

- जनपद बागेश्वर के अर्न्तगत Sewer लाईन ना होने के कारण सरयू व गोमती नदी प्रभावित हो रही है। जिसमें जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनपद बागेश्वर में Sewer लाईन के र्निमाण हेतु प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिये गये व अतिथि तक की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई।

(कार्यवाही जल संस्थान)

- **Arth Ganga:-**

- गंगा समिति के बैठक में अर्थ गंगा के 06 प्रमुख कार्यक्षेत्र/स्तम्भ में प्रस्तावित कार्यो की कार्ययोजना बनाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये गये थे बैठक के दौरान समस्त नोडल अधिकारीयों से कार्ययोजना की प्रगति के सम्बन्ध मे चर्चा की गयी।
- स्तम्भ 1 - Zero Budget Natural Farming.

  स्तम्भ 2 - LivelihoodGeneration opportunities.

  के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसे जिलाधिकारी महोदय को अनुमोदन हेतु भेजा जा रहा है जिसके सापक्षे Zero Budget Natural Farming प्लान बनाया जाऐगा। एवमं जनपद अन्तर्गत Zero Budget Natural Farming में 32 न्याय पंचायत में 1757 किसानों द्वारा पारंपरिक तरीके से कृषि कि जा रही हैं पारंपरिक तरीके से कृषि करने हेतु समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- स्तम्भ 3 उक्त कार्य ग्राम्य विकास द्वारा किये जा रहे है। जिस की सूचना संकलित कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर द्वारा दिया जाएगा।
- स्तम्भ 4 - Monetisation of reuse of Sludge & Wastewater के संबंध में जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया की बागेश्वर जनपद में नही है। अतः Sludge Monetisation नही किया जा सकता है।

❖ स्तम्भ 5 एवमं स्तम्भ 6 के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यक्रम दिनांक 21.06.2023 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नदियों के किनारे स्थिति घाटों एवं गंगा ग्रामों में योग, गंगा स्वच्छता शपथ बागेश्वर घाट में कराये जाने के निर्देश दिये गये व सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो का प्लान कार्यकम निदेशक,राज्य,परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित किया गया है।

B. Seasonal agenda:-

➢ आई.ई.सी. कार्यक्रम :–

❖ प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गंगा समिति को कार्यकम निदेशक,राज्य,परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड शासन देहरादून सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों का क्रियान्यन दिनांक 21.06.2023 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नदियों के किनारे स्थिति घाटों एवं गंगा ग्रामों में योग, गंगा स्वच्छता शपथ गतिविधियों का आयोजन जनपद के अन्तर्गत कराये जाने है। कार्यक्रमों हेतु नोडल अधिकारीयों को नामित किया गया।

❖ अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा रू0 50,000 की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमः–

दिनांक	स्थान	कार्यक्रम	कार्यक्रम नोडल अधिकारी
21.6.2023	बागेश्वर	घाटों पर योगा एवं गंगा स्वच्छता शपथ	जिला आयु0 एवं यूनानी अधिकारी बागेश्वर।

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर
Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं 05963–220249

पत्रांक 44 / 264 बागेश्वर, दिनांक : 04 / 7 / 2023।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप, नमामि गंगे उत्तराखण्ड, 117,इंदिरा नगर,देहरादून पिनकोड 248006 को सूचनार्थ प्रेषित

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

24478

4522/3-2 बागेश्वर दिनांक 12.5.2023

दिंनाक 11.05.2023 को जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर।
पुलिस उपाध्यक्ष कपकोट।
जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर।
जिला सूचना अधिकारी।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर।
थानाध्यक्ष बैजनाथ/कपकोट/काण्डा।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बागेश्वर।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर।
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर/कपकोट।
अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता नगर पंचायत गरूड़/कपकोट।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिंनाक 11.05.2022 को जनपद बागेश्वर में गंगा समिति के सम्बन्ध में जिला सभागार बागेश्वर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के महत्व पूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराया गया तदोपरान्त समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पे चर्चा कि गई एवं विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिये गयेः–

A. Mandated Agenda :-

- Progress of work/ O&M under Namami Gange:-

  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों द्वारा अवगत कराया गया कि नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत बागेश्वर जनपद में कोई भी परियोजना संचालित नही है।

- Identification and tapping; monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid waste into the river within the district boundary:-

  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि State Program Managemaent Group (SPMG) द्वारा प्रत्येक जिला गंगा समिति को "tributary wise plan\presentation" बनाने हेतु निर्देशित किया गया है।

  - ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण हेतु प्राकलन तैयार कर एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये व ग्रामों एवं विद्यालयों में प्लास्टिक उन्मूलन हेतु समय–समय पर बैठक कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

  - जनपद अन्तर्गत गोमिती, सरयू, पिन्डर, गंगा की सहायक नदीयाँ है। उक्त नदियों में दिये गये निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान मे रख कर जल संस्थान बागेश्वर, नगर पालिका परिषद बागेश्वर, पेयजल निगम बागेश्वर, सिंचाई विभाग को tributary प्लान को 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिए जाने के निर्देशित किया था। किन्तु उक्त प्लान आतिथि तक अप्रेषित है। अतः 15 दिवस के अन्तर्गत tributary प्लान बनाने हेतु जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया। उक्त प्लान में निम्नलिखित बिन्दुओ को सम्मिलित किया जाएगा।

1- Detailed Gap analysis (capcity vs generation) of sewerage for each town falling along the river & and its tributaries with projections up to 2040.

2- Action plan to fill the capacity gap.

3- Detaill of the existing STPs their compliance status and plan for rehabilitation\up gradation (if required ad per CPCB\NGT norms).

4- Derailed status of ongoing pollution abatement work in the Basin.

5- Status of Industrial pollution In the basin.

6- Assistance required from GoI in General and from NMCG in particular.

7- IEC and public outreach activity in the Dsitrict.

(कार्यवाही जल संस्थान, नगर पालिका, पेयजल निगम,सिंचाई विभाग, नगर पंचायत गरूड़/ कपकोट, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर)

- जनपद बागेश्वर के अर्न्तगत Sewer लाईन ना होने के कारण सरयू व गोमती नदी प्रभावित हो रही है। जिसमें जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनपद बागेश्वर में Sewer लाईन के निर्माण हेतु प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिये गये व अतिथि तक की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई।

(कार्यवाही जल संस्थान)

- **Arth Ganga:-**

  - गंगा समिति के बैठक में अर्थ गंगा के 06 प्रमुख कार्यक्षेत्र/स्तम्भ में प्रस्तावित कार्यो की कार्ययोजना बनाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये गये थे बैठक के दौरान समस्त नोडल अधिकारीयों से कार्ययोजना की प्रगति के सम्बन्ध मे चर्चा की गयी।
  - स्तम्भ 1 - Zero Budget Natural Farming स्तम्भ 2 - LivelihoodGeneration opportunities के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसे जिलाधिकारी महोदय को अनुमोदन हेतु भेजा जा रहा है जिसके सापक्षे Zero Budget Natural Farming प्लान बनाया जाऐगा। एवमं जनपद अन्तर्गत Zero Budget Natural Farming में 32 न्याय पंचायत में 1757 किसानों द्वारा पारंपरिक तरीके से कृषि कि जा रही हैं पारंपरिक तरीके से कृषि करने हेतु समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
  - स्तम्भ 3 उक्त कार्य ग्राम्य विकास द्वारा किये जा रहे है। जिस की सूचना संकलित कर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर द्वारा दिया जाएगा।
  - स्तम्भ 4 - Monetisation of reuse of Sludge & Wastewater के संबंध में जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया की बागेश्वर जनपद में नही है। अतः Sludge Monetisation नही किया जा सकता है।
  - स्तम्भ 5 एवमं स्तम्भ 6 के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यक्रमों को गरूड,कपकोट एवं बागेश्वर सभी स्थानों में कराये जाने के निर्देश दिये गये व सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो का प्लान कार्यकम निदेशक,राज्य,परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित किया गया है।

B. Seasonal agenda:-

- आई.ई.सी. कार्यक्रम :–

  - प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गंगा समिति को कार्यकम निदेशक,राज्य,परियोजना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे उत्तराखण्ड शासन देहरादून सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों का क्रियान्यन दिनांक 23 मई से 26 मई तक जनपद के अन्तर्गत कराये जाने है। कार्यक्रमों हेतु नोडल अधिकारीयों को नामित किया गया।

❖ जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर द्वारा निर्देशित किया गया कि क्विज एण्ड कम्पीटीशन सांस्कृति कार्यक्रम में किया जाये जिससे आम जनता को भी क्विज एण्ड कम्पीटीशन में प्रतिभाग किया जा सकें एवं चित्रकारी कम्पीटीशन में विजेता 10 छात्र–छात्राओं के चित्र को सांस्कृति कार्यक्रम में प्रदर्शनी लगाये जाए।

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमः–

दिनांक	स्थान	कार्यक्रम	कार्यक्रम नोडल अधिकारी
24.5.2023	बागेश्वर / बैजनाथ	गंगा चौपाल / जनता बैठक, क्विज एण्ड चित्रकारी कम्पीटीशन	मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर
24.5.2023 सायः 5.30 बजे	बैजनाथ	गंगा आरती, दीप उत्सव गंगा शपथ, भजन संध्य / वेद पथ व सांस्कृति कार्यक्रम, घाट पर हाठ	जिला पर्यटक अधिकारी बागेश्वर

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक 4522 / 3-2 दिनांकित
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप, नमामि गंगे उत्तराखण्ड, 117,इंदिरा नगर,देहरादून पिनकोड 248006 को सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

दिंनाक 14.03.2023 को जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर ।
जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर।
जिला सूचना अधिकारी।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बागेश्वर।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर।
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर/कपकोट।
अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता नगर पंचायत गरूड़/कपकोट।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिंनाक 14.03.2022 को जनपद बागेश्वर में गंगा समिति के सम्बन्ध में जिला सभागार बागेश्वर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के महत्व पूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराया गया तदोपरान्त समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पे चर्चा कि गई एवं विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिये गयेः–

A. Mandated Agenda :-

- Progress of work/ O&M under Namami Gange:-

  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों द्वारा अवगत कराया गया कि नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत बागेश्वर जनपद में कोई भी परियोजना संचालित नही है।

- Identification and tapping; monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid waste into the river within the district boundary:-

  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि State Program Managemaent Group (SPMG) द्वारा प्रत्येक जिला गंगा समिति को "tributary wise plan\presentation" बनाने हेतु निर्देशित किया गया है।

  - ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण हेतु प्राकलन तैयार कर एक सप्ताह के अन्तर्गत अधोहस्ताछरी को उपल्बध कराने के निर्देश दिये गये व ग्रामों एवं विद्यालयों में प्लास्टिक उन्मूलन हेतु समय–समय पर बैठक कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

  - जनपद अन्तर्गत गोमिती, सरयू, पिन्डर, गंगा की सहायक नदीयॉ है। उक्त नदियों में दिये गये निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान मे रख कर जल संस्थान बागेश्वर, नगर पालिका परिषद बागेश्वर, पेयजल निगम बागेश्वर, सिंचाई विभाग को tributary प्लान

को 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिए जाने के निर्देशित किया गया। "tributary wise plan\presentation" में निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाएगा।

1- Detailed Gap analysis (capcity vs generation) of sewerage for each town falling along the river & and its tributaries with projections up to 2040.

2- Action plan to fill the capacity gap.

3- Detaill of the existing STPs their compliance status and plan for rehabilitation\up gradation (if required ad per CPCB\NGT norms).

4- Derailed status of ongoing pollution abatement work in the Basin.

5- Status of Industrial pollution In the basin.

6- Assistance required from GoI in General and from NMCG in particular.

7- IEC and public outreach activity in the Dsitrict.

(कार्यवाही जल संस्थान, नगर पालिका, पेयजल निगम,सिंचाई विभाग, नगर पंचायत गरूड़/ कपकोट, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर)

❖ जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत Sewer लाईन ना होने के कारण सरयू व गोमती नदी प्रभावित हो रही है। जिसमें जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनपद बागेश्वर में Sewer लाईन के निर्माण हेतु प्राकलन तैयार कर एक सप्ताह के अन्तर्गत अधोहस्ताछरी को उपल्बध कराने के निर्देश दिये गये व अतिथि तक की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई।

(कार्यवाही जल संस्थान)

➢ **Arth Ganga:-**

❖ गंगा समिति के बैठक में अर्थ गंगा के 06 प्रमुख कार्यक्षेत्र/स्तम्भ में प्रस्तावित कार्यो की कार्ययोजना बनाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये गये थे बैठक के दौरान समस्त नोडल अधिकारीयों से कार्ययोजना की प्रगति के सम्बन्ध मे चर्चा की गयी जिसमें नोडल अधिकारीयों द्वारा अवगत कराया गया कि कार्ययोजना बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अगली जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व समस्त कार्ययोजना बना ली जाए जिससे अगली बैठक में कार्ययोजना पर समिति द्वारा चर्चा की जा सके।

क्र0स0	स्तम्भ	विभाग
1	Zero Budget Natural Farming	कृषि विभाग
2	LivelihoodGeneration opportunities	शिक्षा विभाग
3	Culture Heritage & Tourism	टूरिज्म विभाग
4	Monetisation of reuse of Sludge & Wastewater	जलसंस्थान/जलनिगम
5	Public Participation	शिक्षा विभाग/N.C.C
6	Institutional Building	वन विभाग

❖ नमामि गंगे के अन्तर्गत गरूड़ गंगा कार्यक्रमों को भी कराये जाने के निर्देश दिये। सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यक्रमों को गरूड़,कपकोट एवं बागेश्वर सभी स्थानों में कराये जाने के निर्देश दिये गये व जिलाधिकारी महोदया द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो के साथ–साथ वाल पेंटिग चित्रकारी, कैपिंग भी कराया जाने का सुझाव दिया गया।

B. Seasonal agenda:-

➢ किताब कौथिक महोत्सव :–

❖ प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गंगा समिति को आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 5 लाख रू0 प्राप्त हुए जिससे आजादी के अमृत महोत्सव, 2022 के अन्तर्गत विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों का क्रियान्यन किया गया। उक्त आई.ई.सी. कार्यो के व्यय के बिल अनुमोदनार्थ व जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करने हेतु कहा गया। आगामी माह में जनपद अन्तर्गत किताब कौथिक महोत्सव कराये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सरयू को स्वच्छ बनाये रखने हेतु विषेश ध्यान देने को निर्देशित किया गया। व सुझाव दिया गया की आजादी के अमृत महोत्सव, 2022 के अन्तर्गत विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियो से अवशेष धनराशि से किताब कौथिक महोत्सव में नदीयों को साफ रखने हेतु जागरूकता अभियान कार्य किया जाए। तदोपरान्त जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर पलिका बागेश्वर जागरूकता अभियान व किताब कौथिक महोत्सव में स्वछता हेतु अवशेष धनराशि के उपयोग हेतु प्रस्ताव बना के प्रेषित करें।

(कार्यवाही नगर पलिका बागेश्वर)

C. Other:-

❖ जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर द्वारा र्निदेशित किया गया अग्रिम जिला गंगा समिति के बैठकों में पुलिस विभाग के सर्किल ऑफिसर (सी0ओ0) बागेश्वर/कपकोट/गरूड़, पुलिस निरीक्षक बागेश्वर/कपकोट/गरूड़, को भी प्रतिभाग करने हेतु आमन्त्रित किया जाए।

(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी)

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक 4239 / 264 दिनांकित 21/4/2023

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप, नमामि गंगे उत्तराखण्ड, 117,इंदिरा नगर,देहरादून पिनकोड 248006 को सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

दिंनाक 12.12.2022 को जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर।
3. मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर।
4. जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर।
5. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर।
8. अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर।
9. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
10. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर/कपकोट।
11. अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिंनाक 12.12.2022 को जनपद बागेश्वर में गंगा समिति के सम्बन्ध में जिला सभागार बागेश्वर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) से अवगत कराया गया व पूर्व में जिला गंगा समिति कि बैठक में लिए निर्णय से अवगत कराया गया। तदोपरान्त समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पे चर्चा कि गई एवं विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिये गयेः–

A. Mandated Agenda :-

- Progress of work/ O&M under Namami Gange:-

  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों द्वारा अवगत कराया गया कि नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत बागेश्वर जनपद में कोई भी परियोजना संचालित नही है।

- Identification and tapping; monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid waste into the river within the district boundary:-

  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि State Program Managemaent Group (SPMG) द्वारा प्रत्येक जिला गंगा समिति को "tributary wise plan\presentation" बनाने हेतु निर्देशित किया गया है।

  - जनपद अन्तर्गत गोमिती, सरयू, पिन्डर, गंगा की सहायक नदीयॉ है। उक्त नदियों में दिये गये निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान मे रख कर जल संस्थान बागेश्वर, नगर पालिका परिषद बागेश्वर, पेयजल निगम बागेश्वर, सिंचाई विभाग को tributary प्लान बनाये जाने के लिए निर्देशित किया गया।"tributary wise plan\presentation" में निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाएगा।

1- Detailed Gap analysis (capcity vs generation) of sewerage for each town falling along the river & and its tributaries with projections up to 2040.

2- Action plan to fill the capacity gap.

3- Detaill of the existing STPs their compliance status and plan for rehabilitation\up gradation (if required ad per CPCB\NGT norms).

4- Derailed status of ongoing pollution abatement work in the Basin.

5- Status of Industrial pollution In the basin.

6- Assistance required from GoI in General and from NMCG in particular.

7- IEC and public outreach activity in the Dsitrict.

(कार्यवाही जल संस्थान, नगर पालिका, पेयजल निगम, सिंचाई विभाग)

❖ जनपद बागेश्वर के अर्न्तगत Sewer लाईन ना होने के कारण सरयू व गोमती नदी प्रभावित हो रही है। जिसमें जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनपद बागेश्वर में Sewer लाईन के र्निमाण हेतु प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिये गये व अतिथि तक की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई ।

(कार्यवाही जल संस्थान)

➢ Arth Ganga:-

❖ गंगा समिति के बैठक में अर्थ गंगा के 06 प्रमुख कार्यक्षेत्र/स्तम्भ में प्रस्तावित कार्यो की कार्ययोजना बनाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये गये थे बैठक के दौरान समस्त नोडल अधिकारीयों से कार्ययोजना की प्रगति के सम्बन्ध मे चर्चा की गयी जिसमें नोडल अधिकारीयों द्वारा अवगत कराया गया कि कार्ययोजना बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अगली जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व समस्त कार्ययोजना बना ली जाए जिससे अगली बैठक में कार्ययोजना पर समिति द्वारा चर्चा की जा सके।

क्र0स0	स्तम्भ	विभाग
1	Zero Budget Natural Farming	कृषि विभाग
2	Livelihood Generation opportunities	शिक्षा विभाग
3	Culture Heritage & Tourism	टूरिज्म विभाग
4	Monetisation of reuse of Sludge & Wastewater	जलसंस्थान/जलनिगम
5	Public Participation	शिक्षा विभाग/N.C.C
6	Institutional Building	वन विभाग

B. Seasonal agenda:-

➢ उत्तराणी मेला कार्यक्रमः–

❖ प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गंगा समिति को आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 5 लाख रू0 प्राप्त हुए जिससे आजादी के अमृत महोत्सव, 2022 के अन्तर्गत विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों का क्रियान्यन किया गया। उक्त आई.ई.सी. कार्यो के व्यय के बिल अनुमोदनार्थ व जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करने हेतु कहा गया। आगामी माह में उत्तराणी मेला को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा सरयू को स्वच्छ बनाये रखने हेतु विषेश ध्यान देने को निर्देशित किया गया। व सुझाव दिया गया की आजादी के अमृत महोत्सव, 2022 के अन्तर्गत विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों से अवशेष धनराशि से उत्तरेणी मेले में नदीयों को साफ रखने हेतु जागरूकता अभियान व उत्तराणी मेले में गंगा स्वछता कार्य किया जाए। तदोपरान्त जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर पलिका बागेश्वर जागरूकता अभियान व उत्तरेणी मेले में गंगा स्वछता हेतु अवशेष धनराशि के उपयोग हेतु प्रस्ताव बना के प्रेषित करें।

(कार्यवाही नगर पलिका बागेश्वर)

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक 2255 / 26-1 दिनांकित 26/12/2022

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

दिंनाक 13.9.2022 को जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर।
मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर।
मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर।
जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर।
जिला क्रीड़ा अधिकारी बागेश्वर।
जिला आयु0 एवं यूनानी अधिकारी बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर।
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर/कपकोट।
अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता नगर पंचायत गरूड़/कपकोट।
व्यापार मण्डल अध्यक्ष बागेश्वर/गरूड़

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिंनाक 13.9.2022 को जिला गंगा समिति की जिला सभागार बागेश्वर में बैठक का आयोजन किया गया।सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी महोदया व सभी आगन्तुकों को जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के तहत 17.9.2022 से 18.9.2022 तक प्रस्तावित कार्यक्रम से अवगत कराया गया तदोपरान्त समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पे चर्चा कि गई एवं विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिये गयेः

- जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर द्वारा जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के तहत 17.9.2022 से 18.9.202 प्रस्तावित कार्यक्रम जनपद बागेश्वर में उक्त दिनांको में भारी वर्षा (रेड अलर्ट) की सम्भावना होने के कारण कार्यक्रम को दिनांक 21.92022 से 22.9.2022 को आयोजित किये जाने के सुझाव/निर्देश दिये गये।

- जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर द्वारा जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के तहत दिनांक 21.92022 से 22.9.2022 तक प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारीयो का चयन किया गया व निंदेशित किया गया की प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु व्यय का प्राकलन तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में दिनांक 15.9.2022 तक प्रेषित करे जिससे कार्यक्रम की रूपरेखा तय कि जा सके।

(कार्यवाही समस्त नोडल अधिकार)

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के तहत बैजनाथ घाट पर प्रस्तावित कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु उपजिलाधिकारी गरूड़ निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी गरूड़)

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के तहत मैराथन रेस, क्विज एण्ड कम्पीटीशन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरण की व्यवस्था सम्बन्धित नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही मुख्य शिक्षाधिकारी, कीड़ाधिकारी,)

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के तहत बैजनाथ घाट पर प्रस्तावित कार्यक्रमों घाट पर सांय 5.00 से 7.00 बजे तक गंगा शपथ, भजन संध्य/वेद पथ व सांस्कृति कार्यक्रम हेतु विद्युत व्यवस्था सुचारू अभि0,उत्तराखंण्ड पावर कार्पो0 बागेश्वर द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही अभि0,उत्तराखंण्ड पावर कार्पो0 बागेश्वर,)

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के तहत बैजनाथ घाट पर प्रस्तावित कार्यक्रमों का अखबारों, बैनरों, पोस्टर, के माध्यम से जनता में प्रचार–प्रसार किया जाये।

(कार्यवाही नगर पंचायत गरूड़,)

जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) प्रस्तावित कार्यक्रमः–

दिनांक/स्थान	कार्यक्रम	विवरण	कार्यक्रम नोडल अधिकारी
21.09.2022 बागेश्वर।	प्रभात फेरी	स्थानीय जनता/विद्यालयी छात्र–छात्राओं को सम्मिलित करते हुए प्रभात फेरी, नीबू पानी एवं सूक्ष्म जलपान का कार्यक्रम मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जाना है।	श्री गजेन्द्र सिंह सोन, मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर मो0न0–9412927014. श्री चन्द्र लाल वर्मा जिला क्रीड़ा अधिकारी मो0न0–9760213031
21.09.2022 स्थानीय विद्यालय।	क्विज	विद्यालयो में गंगा व स्वछता के विषय पर नोडल अधिकारी द्वारा क्विज कम्पीटीशन कराया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय, तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 3000, द्वितीय–2000, तृतीय–1000 रूपये का पुरस्कार, सूक्ष्म जलपान एवं स्वच्छता शपथ आदि कार्यों की व्यवस्था मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर द्वारा सम्पन्न कराया जाना है। नोडल अधिकारी क्विज का परिणाम 20.09.2022 तक घोषित करें जिस से सांस्कृति कार्यक्रम में छात्र–छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया जा सकें।	श्री गजेन्द्र सिंह सोन, मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर मो0न0–9412927014.
21.09.2022 22.09.2022 प्रातः 7:00 बजे बागेश्वर।	घाट पर योगा	स्थानीय जनता/विद्यालयी छात्र–छात्राओं द्वारा घाटों में योगा कार्यक्रम का आयोजन हेतु फोटोग्राफ, सूक्ष्म जलपान, मेट कि व्यवस्था जिला आयु0 एंव यूनानी अधिकारी बागेश्वर द्वारा सम्पन्न कराया जाना है।	डा0 राघवेन्द्र गुप्ता जिला आयु0 एवं यूनानी अधिकारी बागेश्वर। मो0न0–9410577071

22.9.2022 प्रातः 6:00 बजे बागेश्वर।	मैराथन रेस	स्थानीय जनता/विद्यालयी छात्र–छात्राओं द्वारा मैराथन रेस व छात्र–छात्राओं हेतु Tshirt व्यवस्था, उक्त कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय, तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 3000, द्वितीय–2000, तृतीय–1000 रूपये का पुरस्कार, फोटोग्राफ, सूक्ष्म जलपान का आयोजन जिला क्रीड़ा अधिकारी व मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर द्वारा सम्पन्न कराया जाना है।	श्री गजेन्द्र सिंह सोन, मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर मो0न0–9412927014. श्री चन्द्र लाल वर्मा जिला क्रीड़ा अधिकारी मो0न0–9760213031
21.92022 बैजनाथ।	घाट पर हाठ	स्थानिय उत्पादों व हस्तशिल्पकला, को बडावा देने हेतु बैजनाथ पार्किंग में घाट पर हाठ का आयोजन कराया जाएगा। हाट हेतु स्टाल की व्यवस्था लो0नि0वि0 बागेश्वर द्वारा कराया जाएगी व हाट हेतु अन्य व्यवस्था जिला विकास अधिकारी बागेश्वर द्वारा कि जाएगी।	श्री संगीता आर्या जिला विकास अधिकारी मो0न0–9411318118. श्री राजकुमार अधि0अभि0लो0नि0वि0 बागेश्वर मो0न0–9412903049.
21.9.2022	भोजन महोत्सव	घाट पर भोजन महोत्सव, फोटोग्राफी, का आयोजन नगर पंचायत गरूड़/व्यापार संघ/ जिला विकास अधिकारी बागेश्वर द्वारा सम्पन्न कराया जाना है। उक्त के अंतर्गत स्थानीय व्यंजन को प्राथमिकता दि जाएगी।	श्री सतीश कुमार नगर पंचायत गरूड़ मो0न0–7055660727. श्री संगीता आर्या जिला विकास अधिकारी मो0न0–9411318118.
21.9.2022 बैजनाथ।	गंगा आरती, दीप उत्सव	गंगा आरती,दीप उत्सव से सम्बन्धित सामग्री, फोटोग्राफी, का आयोजन नगर पंचायत गरूड़ द्वारा सम्पन्न कराया जाना है। उक्त कार्यक्रम सांस्कृति कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा।	श्री सतीश कुमार नगर पंचायत गरूड़ मो0न0–7055660727.
21.9.2022 बैजनाथ।	गंगा शपथ, भजन संध्य/वेद पथ व सांस्कृति कार्यक्रम	घाट पर सांय 5.00 से 7.00 बजे तक गंगा शपथ, भजन संध्य/वेद पथ व सांस्कृति कार्यक्रम हेतु जिला सूचना अधिकारी व जिला क्रीड़ा अधिकारी तथा टेंट कुर्सी मेट,टेबल,बैनर फोटोग्राफी इत्यादि का आयोजन नगर पंचायत गरूड, द्वारा सम्पन्न कराया जाना है।	श्री गोविन्द सिंह बिष्ट जिला सूचना अधिकारी मो0न0–7505140540. श्री चन्द्र लाल वर्मा जिला क्रीड़ा अधिकारी मो0न0–9760213031 श्री सतीश कुमार नगर पंचायत गरूड़ मो0न0–7055660727.

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक 975 / 26-1 **दिनांकित** 14/09/2022

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

दिंनाक 17.8.2022 को जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर।
3. मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर।
4. जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर।
5. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर।
8. अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर।
9. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
10. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर/कपकोट।
11. अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर।
12. होटल एसोसिएशन बागेश्वर।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिंनाक 17.8.2022 को जनपद बागेश्वर में गंगा समिति के सम्बन्ध में जिला सभागार बागेश्वर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी महोदया व सभी आगन्तुकों को जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के तहत 17.9.2022 से 18.9.2022 तक प्रस्तावित कार्यक्रम से अवगत कराया गया तदोपरान्त समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पे चर्चा कि गई एवं विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिये गयेः

- जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर द्वारा जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) के तहत 17.9.2022 से 18.9.2022 तक प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत निम्न कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारीयो का चयन किया गया व निर्देशित किया गया की प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु प्राकलन तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करें उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम बैठक पर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) प्रस्तावित कार्यक्रमः–

दिनांक	स्थान	कार्यक्रम	कार्यक्रम नोडल अधिकारी
17.9.2022	बागेश्वर	प्रभात फेरी गंगा प्रहरी,गंगा दूत व स्थानीय जनता/विद्यालयी छात्र–छात्राओं को सम्मिलित करते हुए प्रभात फेरी, नीबू पानी एवं सूक्ष्म जलपान आदि।	श्री गजेन्द्र सिंह सोन, मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर मो0न0–9412927014. श्री चन्द्र लाल वर्मा जिला क्रीड़ा अधिकारी मो0न0–9760213031

17.9.2022	बागेश्वर	**क्विज एण्ड कम्पीटीशन** क्विज एण्ड कम्पीटीशन में प्रथम, द्वितीय, तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रथम को 5000, द्वितीय–3000, तृतीय–2000 रूपये का पुरस्कार, सूक्ष्म जलपान एवं स्वच्छता शपथ आदि कार्यों की व्यवस्था।	श्री गजेन्द्र सिंह सोन, मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर मो0न0–9412927014.
17.9.2022 / 18.9.2022	बागेश्वर / बजैनाथ	**घाट पर योगा** स्थानीय जनता / विद्यालयी छात्र–छात्राओं द्वारा घाटों में योगा कार्यक्रम का आयोजन हेतु फोटोग्राफ, सूक्ष्म जलपान, मेट आदि पर व्यय।	डा0 राघवेन्द्र गुप्ता जिला आयु0 एवं यूनानी अधिकारी बागेश्वर। मो0न0–9410577071
17.9.2022	बागेश्वर पुष्टि हो चुकी है	**मैराथन रेस** स्थानीय जनता / विद्यालयी छात्र–छात्राओं द्वारा मैराथन रेस के आयोजन हेतु फोटोग्राफ, सूक्ष्म जलपान आदि पर व्यय।	श्री गजेन्द्र सिंह सोन, मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर मो0न0–9412927014. श्री चन्द्र लाल वर्मा जिला क्रीड़ा अधिकारी मो0न0–9760213031
18.92022	बैजनाथ DDO/ N.R.A.	**घाट पर हाठ, भोजन महोत्सव** घाट पर हाठ हेतु लोकल व्यापारीयो द्वारा स्टोल ,सभी अधिकारीयों व क्रमचारियों को टोकन, फोटोग्राफी, इत्यादि पर व्यय।	श्री सतीश कुमार नगर पंचायत गरूड़ मो0न0–7055660727.
18.9.2022	बैजनाथ (बैजनाथ मंदिर)	**गंगा आरती, दीप उत्सव** गंगा आरती,दीप उत्सव से सम्बन्धित सामग्री, फोटोग्राफी, सूक्ष्म जलपान आदि।	श्री सतीश कुमार नगर पंचायत गरूड़ मो0न0–7055660727.
18.9.2022	बैजनाथ (बैजनाथ मंदिर)	**गंगा शपथ, भजन संध्य / वेद पथ व सांस्कृति कार्यक्रम** गंगा शपथ, भजन संध्य / वेद पथ व सांस्कृति कार्यक्रम हेतु टेंट कुर्सी मेट,टेबल,बैनर फोटोग्राफी इत्यादि पर व्यय।	श्री गजेन्द्र सिंह सोन, मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर मो0न0–9412927014 श्री चन्द्र लाल वर्मा जिला क्रीड़ा अधिकारी मो0न0–9760213031 श्री सतीश कुमार नगर पंचायत गरूड़ मो0न0–7055660727.

- जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर द्वारा निर्देशित किया गया की प्रस्तावित कार्यक्रम बिन्दुओं में व्यापार मण्डल गरूड/बागेश्वर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः अग्रिम जिला गंगा समिति के बैठकों में उपरोक्त व्यापार मण्डल अध्यक्षों को प्रतिभाग करने हेतु आमन्त्रित किया जाए **(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी)**

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक 898 /26-1 / 5/9/22 **दिनांकित**
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

दिंनाक 14.7.2022 को जिलाधिकारी महोदया, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर।
3. मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर।
4. जिला पर्यटन अधिकारी बागेश्वर।
5. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर।
8. अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर।
9. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
10. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर/कपकोट।
11. अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिंनाक 14.7.2022 को जनपद बागेश्वर में गंगा समिति के सम्बन्ध में जिला सभागार बागेश्वर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को जिला गंगा समिति व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे) से अवगत कराया गया व पूर्ण में जिला गंगा समिति कि बैठक में लिए निर्णय से अवगत कराया गया तदोपरान्त समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पे चर्चा कि गई एवं विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिये गयेः–

A. Mandated Agenda :-

- Progress of work/ O&M under Namami Gange:-

  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों द्वारा अवगत कराया गया कि नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत बागेश्वर जनपद में कोई भी परियोजना संचालित नही है।

- Identification and tapping; monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid waste into the river within the district boundary:-

  - जनपद बागेश्वर के अर्न्तगत Sewer लाईन ना होने के कारण सरयू व गोमती नदी प्रभावित हो रही है। जिसमें जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनपद बागेश्वर में Sewer लाईन के र्निमाण हेतु प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही जल संस्थान)**

  - नदी से प्लास्टिक व अन्य अपशिष्ट पदार्थ को हटाने गंगा पहरी की नियुक्ती व नदी को स्वच्छ बनाये रखने हेतु लोगो को जागरूक करने हेतु से मिलकर कार्य किया जाए। **(कार्यवाही शिक्षा विभाग/नगर पालिका बागेश्वर/नगर पंचायत गरूड़/कपकोट)**

➢ Arth Ganga:-

❖ व्यापार व रोजगार को प्रोत्साहन हेतु बागनाथ व बैजनाथ मंदिर परिसर या मंदिर परिसर के निकट साप्ताहिक बाजार लगाये जा सकते है जिससे रोजगार व उद्योगों को बड़ावा दिया जा सकें जनपद में उद्योगों का विकास को एक नई गति प्रदान कि जा सकें। **(कार्यवाही नगरपालिका परिषद बागेश्वर/नगर पंचायत गरूड़)**

❖ नदी किनारों पर घाटों का निर्माण व सौंदयकरण हेतु प्राकलन बना कर समिति के समुख प्रस्तुत किया जाए जिससे नदी सौंदयकरण के साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहन दिया जाए। **(कार्यवाही जल संस्थान/पर्यटन विभाग)**

B. Seasonal agenda:-

➢ लोकपर्व हरेला एवं बीज बम कार्यक्रमः–

❖ उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार की "Selfie With Plant" योजना व बीज बम योजना से समिति को अवगत कराया। कि इस वर्ष नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत दिंनाक 16.7.2022 को लोकपर्व हरेला में पौधारोपण कार्यक्रम एस.पी.एम.जी. नमामि गंगे के प्रमुख उद्देश्य के साथ मनाया जाएगा लोकपर्व हरेला पर होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम को "Selfie With Plant" व बीज बम कार्यक्रम के साथ मनाया जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए। कि दिंनाक 16.7.2022 को हरेला पर्व के दौरान दोनो योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाए।

C. Other:-

❖ जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर द्वारा निर्देशित किया गया की Sewer लाईन व अन्य बिन्दुओं में नगर पंचायत गरूड़/कपकोट की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः अग्रिम जिला गंगा समिति के बैठकों में उपरोक्त अधिकारीयों को प्रतिभाग करने हेतु आमन्त्रित किया जाए **(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी)**

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक 337 / 26-1 दिनांकित 26/7/2022

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

दिनांक 14.06.2022 को जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर / कपकोट।
4. अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर
5. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल जलनिगम, बागेश्वर।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2022 को जनपद बागेश्वर में गंगा समिति के सम्बन्ध में जिला सभागार बागेश्वर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए दिनांक 08.04.2022 को हुयी बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशो के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया। तदोउपरान्त राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के दिशा निर्देशानुसार विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सुझाव / निर्देश दिये गयेः–

A. Mandated Agenda

- Progress of works / O&M under Namami Gange:-
  - उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्यगणों द्वारा अवगत कराया गया कि नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत बागेश्वर जनपद में कोई भी परियोजना संचालित नही है।
- Identification and tapping; monitoring of drains/nalas bringing in liquid and solid waste into the river within the district boundary:-
  - अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पेजयल निगम बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि बागेश्वर नगर की Sewer व्यवस्था का प्रस्ताव j.n.n.u.r.m के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है जो शासन स्तर पर लम्बित हैं।
- Arth Ganga:-
  - दिनांक 08.04.2022 को सम्पन्न हुयी जिला गंगा समिति के बैठक में अर्थ गंगा के 06 प्रमुख कार्यक्षेत्र / स्तम्भ में प्रस्तावित कार्यो की कार्ययोजना बनाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये गये थे। बैठक के दौरान समस्त नोडल अधिकारियों से कार्ययोजना की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा की गयी जिसमें नोडल अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कार्ययोजना बनाने की प्रकिया गतिमान है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अगली जिला गंगा समिति की बैठक से पूर्व समस्त कार्ययोजना बना ली जाए जिससे अगली बैठक मे कार्ययोजना पर समिति द्वारा चर्चा की जा सके।

क्र0सं0	स्तम्भ	विभाग	अभियुक्त
1	2	3	4
1	Zero Budget Natural Farming	कृषि विभाग	
2	Livelihood Generation opportunities	शिक्षा विभाग	
3	Culture Heritage & Tourism	टूरिज्म विभाग	
4	Monetisation of reuse of Sludge & Wastewater	जलसंस्थान / जलनिगम	
5	Public Participation	शिक्षा विभाग / N.C.C	
6	Institutional Building	वन विभाग	

B. Seasonal agenda

- International Yoga Day Celebration :-
  - उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 21.06.2022 अन्तराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार जिला गंगा समिति द्वारा गंगा घाट पर योगाभ्यास, स्वच्छता शपथ व स्वच्छता अभियान का आयोजन कराया जाना है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आयुर्वेद्ध विभाग द्वारा एक सप्ताह का योगाभ्यास कार्यक्रम कराया जा रहा है। अतः उक्त कार्यक्रम भी आयुर्वेद्ध विभाग के साथ मिलकर करा लिया जाए। उच्च स्तर से यदि योग दिवस हेतु कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो उसे आयुर्वेद्ध विभाग को आवंटित किया जा सकता है।

c. अन्य बिन्दुः–

- जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि रोजगार सजन, पर्यटन, जैव खेती व अन्य बिन्दुओं में मुख्य विकास अधिकारी, जिला ग्रामीण अभिकरण व जिला पंचायतीय राज अधिकारी का महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः अग्रिम जिला गंगा समिति के बैठकों में उपरोक्त अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने हेतु आमन्त्रित किया जाए। **(कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी)**
- दिनांक 08.04.2022 को हुयी जिला गंगा समिति बैठक में जल गुणवत्ता मापन हेतु जिलाधिकारी द्वारा बागेश्वर, कपकोट, गरूड़ में क्षेत्र का चिन्हिकरण कर तीनों स्थानों पर पानी की गुणवत्ता मापने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में जल संस्थान द्वारा जल की गुणवत्ता मापे जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा B.O.D के अलावा अन्य 11 मानकों का मापन किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सरयू व गोमती नदी की जल गुणवत्ता का नियमित अन्तराल में मापन करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया जाय। **(कार्यवाही जल संस्थान)**
- दिनांक 08.04.2022 की बैठक में दिये गये निर्देशों का कई विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है जिसके कम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व में दिये गये निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन कर अगामी होने वाली गंगा समिति बैठक में कार्य की प्रगति/स्थिति की आख्या साथ लेकर प्रतिभाग करें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का सम्यक् रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर/सदस्य सचिव

पत्रांक 66/26-1 /05/7/22 दिनांकित ।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर/सदस्य सचिव

दिनांक 08.4.2022 को जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित नमामि गंगे बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 बागेश्वर/कपकोट।
4. अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर
5. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल जलनिगम, बागेश्वर।
7. श्री कुन्दन परिहार पर्यावरण विद् बागेश्वर
8. श्री राजेन्द सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता बागेश्वर।
9. अध्यक्ष होटल एसोशिएसन बागेश्वर।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 08.04.2022 को जनपद बागेश्वर में नमामि गंगे परियोजना के सम्बन्ध में जिला सभागार बागेश्वर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए नमामि गंगे परियोजना के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया तथा विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिये गयेः–

- वर्तमान में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सरयू का पानी 'बी' श्रेणी में है। जिला गंगा समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन सरयू व गोमती के पानी की गुणवत्ता का समय–समय पर मापने पर ही हो सकता है। अतः सरयू व गोमती के जल की गुणवत्ता मापन हेतु बागेश्वर, कपकोट गरूड़ के क्षेत्र में तीन स्थानों का चिन्हिकरण करने हेतु निर्णय लिया गया। उक्त स्थानों पर प्रतिमाह जल संस्थान/जल निगम द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार pH, DO,BOD,TDS, Fecal Coliform का मापन कर जिला गंगा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। (कार्यवाही जल संस्थान/जल निगम)

- Sewage Treatment Plan (STP) के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित अधिकारी गण द्वारा अवगत कराया गया कि बागेश्वर नगर का STP प्लान बन चुका है, व गरूड़ का STP प्लान गतिमान है। जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया कि अतिशीघ्र Plan तैयार/पूर्ण कर समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। (कार्यवाही जल संस्थान/जल निगम)

- सरयू व गोमती के प्रदूषण का एक मुख्य कारण घाटों पर प्रदूषण है गंगा समिति द्वारा निर्णय लिया कि जनपद अन्तर्गत सरयू व गोमती के समस्त घाटो की सूची बना ली जाय, घाटो का निरीक्षण कर उसमें क्या–क्या कार्य किये जाने है। का विवरण बना लिया जाय व उक्त सूची गंगा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय ताकि उन घाटों का चयन किया जा सके जिनमें कार्य किये जाने है व प्रस्ताव अनुमोदन हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके। (कार्यवाही सिंचाई विभाग)

- बागेश्वर जनपद में स्थित सरयू घाट धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सरयूघाट का सौन्दर्यकरण तथा अन्य गतिविधियॉ हेतु उसका प्लान बनाकर समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें।
(कार्यवाही नगर पालिका बागेश्वर)

- प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में बनाया गया गरूड गंगा पुर्नजनन परियोजना में नियमित रूप से बजट न मिलने से उक्त कार्य प्रभावित हो रहे है, अतः समिति द्वारा

निर्णय लिया गया कि गरूड़ गंगा पुर्नजनन योजना का प्रस्ताव नमामि गंगे के अन्तर्गत वित्त पोषित किये जाने हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही वन विभाग)

- प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा यह तथ्य रखा कि जनपद अन्तर्गत बागेश्वर, बैजनाथ में गंगा वाटिका बनाया जाय जिससे टूरिज्म को बढाया जा सकता है, अतः गंगा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वन विभाग द्वारा गंगा वाटिका हेतु स्थल का चयन कर समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(कार्यवाही वन विभाग)

- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा क्यूज प्रतियोगिता के चतुर्थ संस्करण का आयोजन 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए दिनांक 07.04.2022 से 22.05.2022 किया जा रहा है। प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा दिनांक 05.06.2022 को की जायेगी। उक्त प्रतियोगिता में जनपद स्तर पर अधिक से अधिक प्रतिभाग कराने हेतु सभी शिक्षण स्थानों सरकारी/गैर सरकारी के विद्यार्थीयों को प्रोसाहित किया जाय। उक्त प्रतियोगिता को प्रचार–प्रसार हेतु जिला शिक्षाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया । उक्त कार्यकम की वैबसाइट www.clap4ganga.com

(कार्यवाही जिला शिक्षाधिकारी)

- प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा नमामि गंगे परियोजना प्रस्तुतीकरण में मा0 प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये सिधान्त अर्थ गंगा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया अर्थ गंगा के 6 प्रमुख कार्यक्षेत्र/स्तम्भ है। भारत सरकार द्वारा हर कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत किये जाने वाले गतिविधियों पर भारत सरकार द्वारा संक्षिप्त विवरण दिया गया है। उक्त के कम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त 6 स्तम्भ के लिए 1–1 नोडल अधिकारी नामित किया जाय। नोडल अधिकारी द्वारा उन स्तम्भों के समस्त बिन्दुओं का अवलोकन किया जायेगा तथा उन बिन्दुओ के परिपेक्ष में बागेश्वर जनपद अन्तर्गत किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यो का प्लान 13 मई 2022 में आयोजित होने वाले बैठक से पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को प्रेषित की जायेगा। अर्थ गंगा के 06 स्तम्भों का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0 सं0	स्तम्भ	विभाग
1	2	3
1	Zero Budget Natural Farming	कृषि विभाग
2	Livelihood Generation opportunities	अधिशासी अधिकारी नगपालिका बागेश्वर
3	Culture Heritage & Tourism	टूरिज्म विभाग
4	Monetisation of reuse of Sludge & Wastewater	जलसंस्थान/जलनिगम
5	Public Participation	शिक्षा विभाग/एन0सी0सी0/ए0आर0टी0ओ0
6	Institutional Building	वन विभाग

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशों का सम्यक् रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर/नोडल अधिकारी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,

24500

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,

बागेश्वर – 263642 (उत्तराखण्ड) ANNEXURE

फैक्स नं0 / फोन नं0–05963–220011 ई–मेल : eecd.ujnbageshwar@gmail.com

पत्रांक 2481 / आर – 05 / 96 दिनांक 30/ 08 / 2023

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
निर्माण मण्डल,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
अल्मोड़ा।

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 885/2017 के अनुपालन में राज्य सैक्टर (नागर) कार्यक्रम में विरचित बागेश्वर सीवरेज योजना (प्रथम चरण) का प्राक्कलन प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 885/2017, दिनांक 18.11.2027 के अनुपालन में बागेश्वर नगरीय क्षेत्र के लिए बागेश्वर सीवरेज योजना के प्रथम चरण का प्राक्कलन राज्य सैक्टर (नागर) कार्यक्रम में विरचित करने के उपरान्त 02 प्रतियों में संलग्न कर आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं.	जनपद	कार्यक्रम	योजना का नाम	योजना की लागत (रू0 लाख में)		
				कार्य की लागत	सैन्टेज	योजना की कुल लागत
01	02	03	04	05	07	08
1.	बागेश्वर	राज्य सैक्टर (नागर)	बागेश्वर नगर सीवरेज योजना (प्रथम चरण)	₹ 1121.64	₹ 140.21	₹ 1261.85

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक : प्राक्कलन 02 नग।

भवदीय,

(विपिन कुमार रवि)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरिः–

प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता महोदय (कु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी (नैनीताल) को उपरोक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

NOTARY

Annexure-2(D)
24501

प्रेषक,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
बागेश्वर।

प्रेषित,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

पत्रांक 1163/ए.जी.टी./2023–24 दिनांकः 19.11.2023

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्याः–123/तैतीस–नमामि गंगे/एन.जी.टी./2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–200/2014 में जिला गंगा समिति द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में है।

उक्त प्रकरण के संबंध में आपको अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर में सूक्ष्म तथा लघु इकाइयाँ कार्यरत हैं, जो अपना अपशिष्ट नदियों में नहीं डालती हैं तथा जनपद बागेश्वर में वृहद स्तर की कोई भी इकाई कार्यरत नहीं है। विभाग में पंजीकृत सूक्ष्म तथा लघु इकाइयों की संख्या निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	इकाई	संख्या
1.	सूक्ष्म इकाई	2443
2.	लघु इकाई	21

उक्त कम में अवगत कराना है कि जनपद में स्थापित/पंजीकृत सूक्ष्म स्तर की इकाईयों में टेलरिंग, स्टील फेब्रीकेशन, फर्नीचर उद्योग, रेस्टोरेन्ट, व्यूटी पारलर, टेन्ट हाउस, सटरिंग बेकरी, आटा चक्की, मशाला, जूस जेम जैली निर्माण, आटो रिपेयरिंग कम्प्यूटर सेवा, मोबाइल रिपेयरिग, इलेक्ट्रोनिक/इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग फोटोग्राफी, कारपेट निर्माण, ताम्र उद्योग इत्यादि से सम्बन्धित इकाईयां हैं।

लघु स्तर की इकाईयों में होटल, प्रिन्टिग प्रेस, पेपर प्रोडक्ट, मेग्नेसाइट व फुड प्रोडक्ट बनाने वाली इकाईयां है, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यावरण एंव प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मानको के अनुसार अवशिष्ट निस्तारण किया जाता है, जिस हेतु उनके द्वारा उत्तराखण्ड पर्यावरण एंव प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है।

भवदीय

(चन्द्रमोहन)
महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
बागेश्वर।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, महोदया को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
बागेश्वर।

ANNEXURE - 2(E)

प्रेषक ,

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खंड बागेश्वर

सेवा में ,

प्रभागीय वनधिकारी
वन प्रभाग , बागेश्वर

पत्रांक- 1141 / सि 0ख0 बा0 / नमामि गंगे / दिनांक 20 /11 /2023

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 200/2014 में जिला गंगा समिति द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाना ।

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 123/33 - नमामि गंगे /एनजीटी /2023/दिनांक 18 नवम्बर 2023

महोदय ,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि **FLOOD PLAIN ZONE** से संबन्धित कार्य इस जनपद में अभी प्रारम्भ नहीं हुए है । इस हेतु उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है । उच्चाधिकारियों से इस संबंध में अनुमति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करा दिये जाएंगे ।

भवदीय

अधिशासी अभियंता
सिंचाई खंड बागेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-2(F)
24503

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड कपकोट
E Mail : eeikupkot18@gmail.com
Phone : +915963253072

पत्रांक –: पत्रा/ सि0ख0क0 / विविध / कपकोट / दिनांक –: 19.11.2023

विषय – लघु जल विद्युत परियोजनायों के सम्बन्ध में।

प्रेषित ,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
जिला – बागेश्वर।

महोदय ,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस खण्ड के कार्याक्षेत्रान्तर्गत सरयू नदी में उत्तर भारत हाइड्रो पॉवर प्राईवेट लिमिटड रोहणी दिल्ली द्वारा निम्नलिखित लघु जल विद्युत परियोजनायें संचालित की जा रही है।

1. **सरजू लघु जल विद्युत परियोजना चरण द्वितीय –:** इस परियोजना के अन्तर्गत 4.2 मेगावाट की 03 संख्या टरबाईन लगी है , इसका हेड़ 155 मीटर तथा अधिकतम डिस्चार्ज 600 क्यूमेक्स है। इस परियोजना की Maximum Genration Capacity 15 मेगावाट है।
2. **सरजू लघु जल विद्युत परियोजना चरण तृतीय –:** इस परियोजना के अन्तर्गत 3.5 मेगावाट की 03 संख्या टरबाईन लगी है ,इसका हेड़ 54.50 मीटर तथा अधिकतम डिस्चार्ज 984 क्यूमेक्स है। इस परियोजना की Maximum Genration Capacity 10.50 मेगावाट है।

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि उक्त परियोजनाओं में केन्द्रीय जल आयोग की गाईडलाईन के आधार पर सरयू नदी में Enviorment flow meter नही लगाये गये है। वर्तमान में Catchment Area के आधार पर नदी में उपल्बध डिस्चार्ज का 15 प्रतिशत डिस्चार्ज नदी में छोड़ा जाता है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, कपकोट

पत्रांक :– / सि0ख0क0 / अनुमति / कपकोट / तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि : महाप्रबन्धक (परियोजना) उत्तर भारत हाइड्रो पॉवर प्राईवेट लिमिटड रोहणी दिल्ली को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आप भविष्य में सरयू नदी में उपलब्ध डिस्चार्ज के आधार पर 15 प्रतिशत डिस्चार्ज नदी में छोड़ना सुनिश्चित करे।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, कपकोट

Annexure-2(G)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बागेश्वर

24504

EMAIL- nppbageshwar@gmail.com

पत्रांक ज्ञाप / 2023–24 / दिनांक–18.11.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय – मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–200 / 2014 में जिला गंगा समिति द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्या–123 / तैंतीस–नमामि गंगे / एन0जी0टी0 / 2023 दिनांक– 18 नवम्बर, 2023 द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है–

1. **नगर पालिका परिषद, बागेश्वर** में नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन 7.5 टन कूड़ा उत्पादन होता है जिसके निस्तारण हेतु पालिका के 50 पर्यावरण मित्र तथा डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण हेतु सखी स्वंय सहायता समूह की 45 महिलायें कार्यरत है। प्रत्येक महिला द्वारा प्रतिदिन 100 घरों से ठोस अपशिष्ट कूड़ा का निस्तारण किया जाता है। डोर–टू–डोर कूड़ा निस्तारण हेतु पालिका के 04 वाहन तथा नगरीय क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण हेतु 02 वाहन लगे हुये है। उक्त कूड़े का निस्तारण मालता स्थित डम्पिंग जोन में किया जाता है। जहां पर पालिका द्वारा समय–समय पर किटनाक्षक दवाइयों का छिड़काव किया जाता हैं। इसके साथ ही जैविक कूड़ा के निस्तारण हेतु पालिका द्वारा आम नागरिकों से होम कम्पोस्टिंग के माध्यम से कराने का प्रयास कर रही है। जनजागरूकता के आधार पर अब तक प्रयास करने वालो के लिए पालिका ने 80 पीट बनाकर दिये है। अब तक आम नागरिकों द्वारा कुल 291 परिवार होम कम्पोस्टिंग का कार्य कर रहे है। **नगर पंचायत कपकोट** में प्रतिदिन 2 टन कूड़ा उत्पादन होता है जिसके निस्तारण हेतु नगर पंचायत कपकोट के 06 महिलाएं व 14 पर्यावरण मित्र कार्यरत है। महिलाओं द्वारा प्रतिदिन 840 घरों से ठोस अपशिष्ट कूड़ा का निस्तारण किया जाता है। पर्यावरण मित्रों द्वारा 340 दुकानों से ठोस अपशिष्ट कूड़ा का निस्तारण किया जाता है। जिसमें 02 वाहन प्रयोग में लाये जाते है। उक्त कूड़े का निस्तारण वार्ड नं0–04 भराड़ी स्थित डम्पिंग जोन में किया जाता है। जहां पर पंचायत द्वारा समय–समय पर किटनाक्षक दवाइयों का छिड़काव किया जाता हैं। **नगर पंचायत गरूड़** में प्रतिदिन 1.5 से 2 टन कूड़ा उत्पादन होता है जिसके निस्तारण हेतु नगर पंचायत गरूड़ के 10 पर्यावरण मित्र आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत है। जिसमें 05 महिलाए एंव 05 पुरूष है। महिलाओं द्वारा प्रतिदिन 874 घरों से ठोस अपशिष्ट कूड़ा का निस्तारण किया जाता है। पुरूषों द्वारा 803 दुकानों से ठोस अपशिष्ट कूड़ा का निस्तारण किया जाता है। जिसमें 01 वाहन प्रयोग में लाये जाते है। उक्त कूड़े का निस्तारण गोलू मार्केट स्थित डम्पिंग जोन में किया जाता है। जहां पर पंचायत द्वारा समय–समय पर किटनाक्षक दवाइयों का छिड़काव किया जाता हैं।

....2

2. **नगर पालिका परिषद, बागेश्वर** में किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैंका जाता है तो पालिका द्वारा चालानी कार्यवाही की जाती है। वर्तमान तक पालिका द्वारा गन्दगी करने पर 20 चालान किये गये है तथा रू0 20000.00 की धनराशि वसूल की गयी है। **नगर पंचायत कपकोट** में किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैंका जाता है तो पंचायत द्वारा चालानी कार्यवाही की जाती है। वर्तमान तक पंचायत द्वारा गन्दगी करने पर 10 चालान किये गये है तथा रू0 5700.00 की धनराशि वसूल की गयी है। **नगर पंचायत गरूड़** में भी किसी व्यक्ति द्वारा यदि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैंका जाता है तो पंचायत द्वारा चालानी कार्यवाही की जाती है। वर्तमान तक पंचायत द्वारा गन्दगी करने पर 11 चालान किये गये है तथा रू0 4200.00 की धनराशि वसूल की गयी है।

3. **नगर पालिका परिषद, बागेश्वर** में नदी के घाटों की साफ–सफाई हेतु पालिका द्वारा 01 पर्यावरण मित्र की नियमित तैनाती की गयी है जिसके द्वारा नदी के घाटों की साफ–सफाई की जाती है। समय–समय पर पालिका द्वारा अभियान चलाकर भी नदी के घाटों की साफ–सफाई का कार्य किया जाता है। **नगर पंचायत कपकोट** में नदी के घाटों की साफ–सफाई हेतु पंचायत द्वारा 01 पर्यावरण मित्र की तैनाती की गयी है जिसके द्वारा नदी के घाटों की साफ–सफाई की जाती है। समय–समय पर पंचायत द्वारा सफाई अभियान चलाकर भी नदी के घाटों की साफ–सफाई का कार्य किया जाता है। **नगर पंचायत गरूड़** में नदी व झील के घाटों की साफ–सफाई हेतु पंचायत द्वारा 01 पर्यावरण मित्र की तैनाती की गयी है जिसके द्वारा नदी व झील के घाटों की साफ–सफाई की जाती है। समय–समय पर पंचायत द्वारा सफाई अभियान चलाकर भी नदी व झील के घाटों की साफ–सफाई का कार्य किया जाता है।

4. लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने हेतु नगर पालिका परिषद, बागेश्वर, नगर पंचायत कपकोट तथा नगर पंचायत गरूड़ स्तर से कार्यवाही गतिमान है।

अतः चाही गयी सूचना सादर प्रेषित है कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, बागेश्वर

प्रतिलिपि –

1. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर को उनके कार्यालय पत्रांक संख्या–1945/29 –3–3 बागेश्वर दिनांक–18.1.2023 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

for अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, बागेश्वर

24506

प्रेषक,

जिला पंचायतराज अधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः 642/7–पं0/रिट/पी0आई0एल0/2023–24 दिनांक 10 अक्टूबर 2023

विषयः– जनहित याचिका संख्या–93/2022 जितेन्द्र यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के पारित निर्णयादेश दिनांक 26.09.2023 के क्रम में अद्यतन सूचना के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक निदेशालय, पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1623 दिनांक 03/10/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनहित याचिका संख्या–93/2022 जितेन्द्र यादव बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 26/09/2023 के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुये हैंए उक्त सन्दर्भित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या महोदया की सेवा में प्रेषित की जा रही है, जो निम्नानुसार हैः–

1. महोदया जनपद बागेश्वर के समस्त विकास खण्डों में स्वजल विभाग द्वारा कूड़ा वाहन उपलब्ध कराये गये है। जिनका संचालन विकास खण्ड द्वारा तैयार किये गये ग्राम पंचायतों के रूट चार्ट के अनुसार नियमित रूप से किया जाना है, परन्तु वर्तमान समय में जनपद बागेश्वर के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा वाहन चालक/पर्यावरण मित्र नियुक्त किये जाने हेतु निविदा जारी की गयी है। माह के अंत तक वाहन चालक/पर्यावरण मित्र की तैनाती कर दी जायेगी। तद्पश्चात वाहन का संचालन नियमित रूप से किया जाएगा।
2. जनपद के समस्त विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार को जैविक एवं अजैविक कूड़ेदान उपलब्ध कराये गये है, ग्रामवासियों द्वारा ग्राम पंचायतों में निर्मित कूड़े दानों में कूड़े को डाला जा रहा है।
3. विकास खण्ड स्तर पर संचालित कूडा वाहनों में जी०पी०एस० एवं जी०पी०आर०एस० को स्थापित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है, इस माह के अंत तक प्रत्येक कूडा वाहनों में जी०पी०एस० स्थापित कर दी जायेगी।
4. जनपद के समस्त विकास खण्डों में कूड़ा वाहन स्वजल विभाग द्वारा क्रय कर लिये गये है। वाहन चालक/पर्यावरण मित्र की तैनाती के बाद वाहन का संचालन किया जाएगा एवं लाग बुक की नियमित रूप से जाच की जाएगी।

अतः परिपालन आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है। कृप्या प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

कृते जिला पंचायत राज अधिकारी,
बागेश्वर।

प्रतिलिपिः–
1. मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, महोदया बागेश्वर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
बागेश्वर।

10/10/2023

Annexure-2(H)

24507

वर्ष–2023–24 में अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण से संबंधित मामलों में अधिरोपित धनराशि व उसके सापेक्ष वसूल की गयी धनराशि के संदर्भ में माह अक्टूबर,2023 तक की गई कार्यवाही का विवरण:–

क्रम संख्या	जॉच अधिकारी/ चालानकर्ता का नाम	अवैध खनन/ परिवहन/ भण्डारण के संदर्भ में की गयी छापेमारी का विवरण	अवैध खननकर्ता/ परिवहनकर्ता/ भण्डारणकर्ता का नाम	निरीक्षण की तिथि	जब्त खनिज/ उपखनिज की मात्रा	नोटिस निर्गत करने की तिथि	धनराशि अधिरोपित करने की तिथि/ आर0सी0 निर्गत करने की तिथि	अधिरोपित धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01.	राजस्व विभाग व उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,बागेश्वर द्वारा संयुक्त निरीक्षण।	उपजिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्र संख्या–115/रा0अ0–खनन जांच/2022–23 दिनांक 28 मार्च, 2023से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार दिनांक 14.02.2023 को मै0 देवभूमि माइंस,देवली, तहसील व जनपद बागेश्वर के खनन क्षेत्र के निरीक्षण में अवैध सोपस्टोन का खनन पाया जाना।	पट्टाधारक मै0 देवभूमि माइंस, देवली,तहसील व जनपद बागेश्वर	14.02. 2023	138.57 टन अर्थात 62. 988 घनमीटर सोपस्टोन (अवैध खनन)	10.04. 2023	25.04.2023	1,24,713.00	1,24,713.00	–	ई–चालान संख्या–08530523E0013146 दिनांक 30 मई, 2023 से जमा।
02.	राजस्व विभाग व उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,बागेश्वर	उपजिलाधिकारी,बागेश्वर के पत्र संख्या–129/रा0अ0–खनन जांच/2022–23 दिनांक 10 अप्रैल, 2023 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट	श्री हरीश चन्द्र धपोला, पट्टाधारक सोपस्टोन माइन, भैरूचौबट्टा, तहसील व जनपद बागेश्वर।	31.03. 2023	54 घनमीटर अर्थात 118 टन सोपस्टोन (अवैध खनन)	04.05. 2023	18.05.2023	1,06,200.00	1,06,200.00	–	दिनांक 11.05.2023 को ई–चालान से जमा।
03	उपजिलाधिकारी, गरूड़	उपजिलाधिकारी,गरूड़ के आदेश संख्या–397 दिनांक 08 मई, 2023 के अनुसार दिनांक 07.05.2023 को ग्राम लखनी से सिल्ली की ओर जा रहे **03 डम्परों** द्वारा अवैध उपखनिज का परिवहन	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भवान सिंह ग्राम बिनखोली तहसील गरूड़	07.05. 2023	17.42 घनमीटर (अवैध परिवहन)	–	–	99,982.00	99,982.00	–	ई–चालान संख्या–08530523E0013146 दिनांक 08.05.2023 से जमा
04.	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,बागेश्वर	दिनांक 13.05.2023 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,बागेश्वर द्वारा श्री आनंद सिंह कालाकोटी पट्टाधारक सोपस्टोन माइन पपों के खनन क्षेत्र के संपन्न संयुक्त निरीक्षण में अवैध खनिज सोपस्टोन का उत्पादन कर	श्री आनंद सिंह कालाकोटी पट्टाधारक सोपस्टोन माइन, पपों तहसील व जनपद बागेश्वर	13.05. 2023	168 घनमीटर सोपस्टोन (अवैध खनन)	31.05. 2023	06.06.2023	3,32,640.00	3,32,640.00	–	ई–चालान संख्या–08530723E0002076 दिनांक 01.07.2023 से जमा

-2

Scanned with OKEN Scanner

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		भण्डारण किया जाना पाया जाना।									
05.	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, बागेश्वर	दिनांक 19.06.2023 को तहसील गरूड़ क्षेत्रान्तर्गत रिवर ड्रेजिंग कार्य हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाना	श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री दीवान सिह रावत निवासी ग्राम रैखोली, तहसील काफलीगैर के रिवर ड्रेजिंग लॉट ककड़धार में अवैध रूप से जे0सी0बी0 से अवैध खनन किया जाना	19.06. 2023	जे0सी0बी0 मशीन से **अवैध खनन**	01.07. 2023	28.07.2023 05.10.2023	2,00000.00	2,00000.00	–	ई–चालान संख्या–08531023 E0030551 दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 से धनराशि जमा।
06.	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, बागेश्वर	दिनांक 19.06.2023 को तहसील गरूड़ क्षेत्रान्तर्गत रिवर ड्रेजिंग कार्य हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाना	श्री संजय सिंह बहादुर सिह निवासी ग्राम टानीखेत, तहसील गरूड़, जनपद बागेश्वर के रिवर ड्रेजिंग लॉट अकुणाई में अवैध रूप से जे0 सी0बी0 से खनन किया जाना	19.06. 2023	जे0सी0बी0 मशीन से **अवैध खनन**	01.07. 2023	28.07.2023 05.10.2023	2,00000.00	2,00000.00	–	ई–चालान संख्या–08531023 E0024410 दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 से धनराशि जमा।
07.	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, बागेश्वर	दिनांक 19.06.2023 को तहसील गरूड़ क्षेत्रान्तर्गत रिवर ड्रेजिंग कार्य हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाना	मॉ भ्रामरी स्टोनक्रेशर ग्राम मथुरो,तहसील गरूड़,जनपद बागेश्वर के रिवर ड्रेजिंग लॉट सिटोली में अवैध रूप से जे0सी0 बी0 से खनन किया जाना	19.06. 2023	जे0सी0बी0 मशीन से **अवैध खनन**	01.07. 2023	28.07.2023 05.10.2023	2,00000.00	2,00000.00	–	ई–चालान संख्या–08531023 E0024410 दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 से धनराशि जमा।
08	तहसीलदार, गरूड़	उपजिलाधिकारी,गरूड़ के निर्देशन में दिनांक 23006.2023 को छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर ट्राली द्वारा अवैध खनिज का परिवहन करता पाया जाना।	–	23.06. 2023	2.50 घनमीटर उपखनिज **अवैध परिवहन**	–	–	16,813.00	16,813.00	–	ई चालान संख्या–08530623E0047150दिनांक 23.06.2023 व ई चालान संख्या–08530823E0007264 दिनांक 03.08.2023 से संपूर्ण धनराशि जमा।
							योग	12,80,348.00	12,80,348.00	–	

18.11.2023
(मयंक आर्या)
खान निरीक्षक / प्रभारी खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
जनपद बागेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

24509

ANNEXURE - 2(1)

वर्ष 2021–22 मे वर्षा जंल संरक्षण कार्यो का विवरण –बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

०सं0	प्रभाग का नाम	योजना का नाम	रेंज का नाम	क्षेत्र का नाम	जी0पी0एस0 लोकेशन	निर्मित संरचना	इकाई	जल संग्रहण की क्षमता (लाख ली0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	बागेश्वर	बिलखेत	N29 84930574 E79 82147156	जलकुण्ड (20000 ली0 क्षमता)	20	4.00
2	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	धरमघर	धरमघर	N29 875883128 E80 00316059	जलकुण्ड (20000 ली0 क्षमता)	10	2.00
3	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	बागेश्वर	बिलखेत	N29 85868341 E79 82056993	जलकुण्ड (50000 ली0 क्षमता)	35	19.39
4	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	धरमघर	धरमघर	N29 87608842 E80 22201252	जलकुण्ड (50000 ली0 क्षमता)	25	10.61
5	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	धरमघर	धरमघर	N 29 873112008 E 79 99923599	आर0आर0 ड्राई चैकडैम	5	1.2
6	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	बागेश्वर	बिलखेत	N 29 85279737 E 79 82814822	कन्टूर ट्रैच	7000	18.9
7	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	धरमघर	धरमघर	N 29 87291218 E 79 99842027	कन्टूर ट्रैच	4000	10.8
8	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	ग्लेशियर	चौड़ा	N 30. 0236 E 79.5628	चाल–खाल	15	1.88
9	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	ग्लेशियर	झूनी	N30. 064553 E79.585378	चाल–खाल	8	1.00
10	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	ग्लेशियर	लहुरबरमती	N30. 03227 E79.5914	चाल–खाल	15	1.88
11	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	ग्लेशियर	तोली	N30. 0023 E79.5157	चाल–खाल	10	1.25
12	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	ग्लेशियर	मिखिला खलपटटा	N30. 04551 E80.0534	चाल–खाल	18	2.25
13	बागेश्वर वन प्रभाग	जायका	ग्लेशियर	गांसी	N30. 022649 E79.591191	चाल–खाल	15	1.88
14	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	ग्लेशियर	धाकुडी क0 13 व 14	N 30 04 20.7 E 79 53 14.8	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
15	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	ग्लेशियर	धाकुडी क0 13 व 14	N 30 04 20.7 E 79 53 14.8	जलकुण्ड –10000 ली0	6	0.6

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	योजना का नाम	रेंज का नाम	क्षेत्र का नाम	[illegible] लोकेशन	निर्मित संरचना	इकाई	जल संग्रहण की क्षमता (लाख ली0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	ग्लेशियर	धाकुडी क0 13 व 14	N 30 04 22.3 E 79 52 20.60	चाल–खाल	16	1.6
17	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	ग्लेशियर	धाकुडी क0 13 व 14	N 30 04 22.3 E 79 52 20.60	कन्टूर ट्रैच	6300	20.16
18	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	ग्लेशियर	शीशाखानी क0 5	N 30 01 1.37 E 79 49 38.47	कन्टूर ट्रैच	1050	3.36
19	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	ग्लेशियर	शीशाखानी क0 5	N 30 01 1.37 E 79 49 38.47	चाल–खाल	9	0.9
20	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बागेश्वर	छतीना क 0 2	N 29 49 51.54 E 79 47 45.93	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
21	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बागेश्वर	छतीना क 0 2	N 29 49 51.54 E 79 47 45.93	चाल–खाल	14	1.4
22	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बागेश्वर	छतीना क 0 2	N 29 49 51.54 E 79 47 45.93	कन्टूर ट्रैच	8400	26.88
23	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बागेश्वर	जोलकाण्डे क0 4	N 29 48 56.47 E 79 46 3.44	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
24	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बागेश्वर	जोलकाण्डे क0 4	N 29 48 56.47 E 79 46 3.44	जलकुण्ड –10000 ली0	6	0.6
25	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बागेश्वर	जोलकाण्डे क0 4	N 29 48 56.47 E 79 46 3.44	चाल–खाल	11	1.1
26	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बागेश्वर	जोलकाण्डे क0 4	N 29 48 56.47 E 79 46 3.44	जलकुण्ड –100000 ली0	1	1
27	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बागेश्वर	जोलकाण्डे क0 4	N 29 48 56.47 E 79 46 3.44	कन्टूर ट्रैच	8400	26.88
28	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	धरमघर	हल्द्वानी क0 3	N 29 56 04.83 E 80 08 2.98	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
29	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	धरमघर	हल्द्वानी क0 3	N 29 56 04.83 E 80 08 2.98	जलकुण्ड –50000 ली0	4	2
30	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	धरमघर	हल्द्वानी क0 3	N 29 56 04.83 E 80 08 2.98	जलकुण्ड –100000 ली0	1	1
31	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	धरमघर	हल्द्वानी क0 3	N 29 56 04.83 E 80 08 2.98	चाल–खाल	22	2.2

24511

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	योजना का नाम	रेंज का नाम	क्षेत्र का नाम	जी0पी0एस0 लोकेशन	निर्मित संरचना	इकाई	जल संग्रहण की क्षमता (लाख ली0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	धरमघर	गुरना क 3	N 29 48 37.36 E 79 51 58.18	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
33	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	धरमघर	गुरना क 3	N 29 48 37.36 E 79 51 58.18	जलकुण्ड –10000 ली0	6	0.6
34	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	धरमघर	गुरना क 3	N 29 48 37.36 E 79 51 58.18	जलकुण्ड –50000 ली0	4	2
35	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	धरमघर	गुरना क 3	N 29 48 37.36 E 79 51 58.18	चाल–खाल	3	0.3
36	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	धरमघर	गुरना क 3	N 29 48 37.36 E 79 51 58.18	कन्टूर ट्रैच	9450	30.24
37	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	धरमघर	हल्द्वानी क0 2	N 29 54 59.36 E 80 08 20.83	कन्टूर ट्रैच	9450	30.24
38	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	कपकोट	जगथाना क0 3	N 29 54 59.36 E 80 08 20.83	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
39	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	कपकोट	जगथाना क0 3	N 29 58 59.69 E 79 46 41.54	जलकुण्ड –10000 ली0	4	0.4
40	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	कपकोट	जगथाना क0 3	N 29 58 59.69 E 79 46 41.54	चाल–खाल	25	2.5
41	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	कपकोट	जगथाना क0 3	N 29 58 59.69 E 79 46 41.54	कन्टूर ट्रैच	5250	16.8
42	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	कपकोट	पुगर क0 12	N 29 54 13.75 E 79 51 0.73	चाल–खाल	10	1
43	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	कपकोट	पुगर क0 12	N 29 54 13.75 E 79 51 0.73	कन्टूर ट्रैच	5250	16.8
44	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	कपकोट	पुगर क0 12	N 29 54 13.75 E 79 51 0.73	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
45	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	कपकोट	पुगर क0 12	N 29 54 13.75 E 79 51 0.73	जलकुण्ड –10000 ली0	4	0.4
46	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	कपकोट	पुगर क0 12	N 29 54 13.75 E 79 51 0.73	चाल–खाल	15	1.5

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	योजना का नाम	रेंज का नाम	क्षेत्र का नाम	जी0पी0एस0 लोकेशन	निर्मित संरचना	इकाई	जल संग्रहण की क्षमता (लाख ली0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	कुलाऊँ क 01	N 29 57 46.94 E 79 37 45.84	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
48	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	कुलाऊँ क 01	N 29 57 46.94 E 79 37 45.84	जलकुण्ड –10000 ली0	4	0.4
49	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	कुलाऊँ क 01	N 29 57 46.94 E 79 37 45.84	जलकुण्ड –50000 ली0	4	2
50	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	कुलाऊँ क 01	N 29 57 46.94 E 79 37 45.84	जलकुण्ड –100000 ली0	1	1
51	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	कुलाऊँ क 01	N 29 57 46.94 E 79 37 45.84	चाल–खाल	25	2.5
52	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	कुलाऊँ क 01	N 29 57 46.94 E 79 37 45.84	कन्टूर ट्रैंच	7350	23.52
53	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	लमचूला क 02	N 29 57 20.89 E 79 42 7.52	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
54	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	लमचूला क 02	N 29 57 20.89 E 79 42 7.52	जलकुण्ड –50000 ली0	6	3.0
55	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	लमचूला क 02	N 29 57 20.89 E 79 42 7.52	जलकुण्ड –10000 ली0	6	0.6
56	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	लमचूला क 02	N 29 57 20.89 E 79 42 7.52	चाल–खाल	25	2.5
57	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	गढखेत	लमचूला क 02	N 29 57 20.89 E 79 42 7.52	कन्टूर ट्रैंच	7350	23.52
58	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	महरपाली क 02	N 29 53 8.17 E 79 38 33.41	कन्टूर ट्रैंच	8400	26.88
59	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	महरपाली क 02	N 29 53 8.17 E 79 38 33.41	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
60	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	महरपाली क 02	N 29 53 8.17 E 79 38 33.41	जलकुण्ड –10000 ली0	4	0.4

24513

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	योजना का नाम	रेंज का नाम	क्षेत्र का नाम	[illegible] स्थान	निर्मित संरचना	इकाई	जल संग्रहण की क्षमता (लाख ली0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	महरपाली क 02	N 29 53 8.17 E 79 38 33.41	चाल–खाल	13	1.3
62	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	मजकोट क 03	N 29 59 0.37 E 79 32 27.36	कन्टूर ट्रैंच	8400	26.88
63	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	मजकोट क 03	N 29 59 0.37 E 79 32 27.36	जलकुण्ड –20000 ली0	2	0.4
64	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	मजकोट क 03	N 29 59 0.37 E 79 32 27.36	जलकुण्ड –10000 ली0	4	0.4
65	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	मजकोट क 03	N 29 59 0.37 E 79 32 27.36	चाल–खाल	12	1.2
66	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	सौकला खत्ता	N 29 52 20.06 E 79 30 01.67	जलकुण्ड –20000 ली0	6	1.2
67	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	जडियाबगड	N 29 53 58.97 E 79 29 58.20	जलकुण्ड –20000 ली0	4	0.8
68	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	सौकला खत्ता	N 29 54 06.86 E 79 31 32.07	कन्टूर ट्रैंच	7351	23.5232
69	बागेश्वर वन प्रभाग	कैम्पा	बैजनाथ	जडियाबगड	N 29 56 00.62 E 79 32 19.15	कन्टूर ट्रैंच	10369	33.1808
70	बागेश्वर वन प्रभाग	राज्य सै0	कपकोट	गुलेर वन पं0	N 29 52 12.23 E 79 30 25.34	जलकुण्ड –20000 ली0	5	1.00
71	बागेश्वर वन प्रभाग	राज्य सै0	बागेश्वर	द0खबडोली	N 29 52 23.94 E 79 45 10.46	जलकुण्ड –20000 ली0	5	1.00
72	बागेश्वर वन प्रभाग	राज्य सै0	धरमघर	खुल्दै वन पं0	N 29 58 10.37 E 79 30 22.36	चाल–खाल	20	2.00
								452.69

चाल-खाल / जलकुण्ड — 503 NOS

कन्टूर ट्रैंच — 113770 NOS

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

24514

मिशन अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत विभिन्न अमृत सरोवरों के निर्माण का विस्तार विवरण

जनपद	प्रभाग	स्थल/कक्ष का नाम	अमृत सरोवरों की संख्या	नव निर्माण/जीर्णोद्वार	सरोवर का माप (ल0चौ0ऊ0) मी0 में	अमुत सरोवर की आई0डी0 संख्या	सरोवर की जी0पी0एस0 लोकेशन		सरोवर की प्रगति विवरण पूर्ण/अपूर्ण	अमृत सरोवर हेतु प्रस्तावित धनराशि (लाख में)	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख			कुल आवंटित धनराशि (ड+ढ+ण)	कुल प्रस्तावित धनराशि – कुल आवंटित धनराशि
							अक्षांस	देशान्तर			विभागीय		मनरेगा		
											वर्षा जल संरक्षण	सिविल/सोयम एवं पंचायती वनों की अग्नि से सुरक्षा			
ख	ग	घ	ड़	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ़	ण	त	थ
बागेश्वर	बागेश्वर वन प्रभाग	फल्याटी क0 2	1	जीर्णोद्वार	(10x10x1M)	44711	N29 51 13.0	E-079 48 11.2	पूर्ण	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00
		बिलखेत क0 6	1	जीर्णोद्वार	(10x10x1M)	44658	N 29 50 01.5	E 079 48 24.9	पूर्ण	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
		धूराफाट क0 2 ब	1	जीर्णोद्वार	(35x20x1M)	44773	N29 44 39.27	E 079 47 29.58	पूर्ण	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
		सरला आ0	1	जीर्णोद्वार	(120x20x1M)	45233	N 29 50 50.21	E 79 36 50.57	पूर्ण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		गुरना क0 3	1	जीर्णोद्वार	(50x22x1M)	45139	N29 80 97.52	E79 85 11.92	पूर्ण	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
		उत्तरी विनसर क0 सं0 35	1	जीर्णोद्वार	(10x10x1M)	71332	N 29 45 9.7	E 79 42 5.5	पूर्ण	4.50	3.60	0.40	0.00	4.00	0.50
					योग –					**25.00**	**18.10**	**6.40**	**0.00**	**24.50**	**0.50**

– क0सं0 04 पर अंकित सरला आ0 हेतु धनराशि पर्यटन विभाग से प्राप्त हुयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

	Aug-23	18°C	7.47	129	190	8.2	21.0	216	114	102	164	2.0	6.0	110	79	7.8	0.20	0.06	25.19	0.17	0.24	7.9	2.2	0.23	B
	Sep-23	17°C	7.13	149	210	8.4	24.0	218	112	106	176	1.8	5.0	120	94	6.8	0.18	0.05	22.43	0.15	0.20	7.2	1.9	0.21	B
River Saryu D/S Near Bilona Bridge, Bageshwar																									
S.No.	Month	Temp	pH	TDS (mg/l)	EC (µS/cm)	DO (mg/l)	Chloride (mg/l)	Hardness (mg/l)	Calcium (mg/l)	Magnesium (mg/l)	Alkalinity (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)	Fecal Steptococcus (MPN/100 ml)	Nitrate-N (mg/l)	Nitrite-N (mg/l)	Sulphate (mg/l)	Phosphate (mg/l)	Fluoride (mg/l)	Sodium (mg/l)	Potassium (mg/l)	SAR	Designated Best use (DBU) Water Quality Criteria
81	Jan-23	11°C	7.84	159	220	8.8	23.0	224	118	106	184	1.4	5.0	130	84	11	0.18	0.04	14.84	0.23	0.22	7.5	2.9	0.21	B
	Feb-23	13°C	7.23	166	230	8.4	21.0	232	128	104	188	1.6	6.0	94	84	9.3	0.16	0.11	60.05	0.16	0.33	9.2	2.0	0.26	B
	Mar-23	15°C	7.44	148	220	8.2	25.0	218	116	102	192	1.8	6.0	110	94	10	0.10	0.08	68.26	0.26	0.27	6.8	1.5	0.19	B
	Apr-23	18°C	7.78	151	230	8.0	24.0	242	136	106	174	2.0	6.0	150	120	13	0.05	0.04	70.25	0.14	0.35	6.6	2.6	0.18	B
	May-23	20°C	7.15	173	260	7.8	23.0	224	122	102	196	1.6	5.0	110	94	11	0.11	0.06	65.20	0.18	0.30	6.0	2.2	0.17	B
	Jun-23	22°C	7.52	185	280	7.6	21.0	236	126	110	188	2.2	6.0	94	94	10	0.10	0.001	23.73	0.23	0.41	11.0	10.6	0.31	B
	Jul-23	20°C	7.33	156	240	8.0	23.0	220	116	104	162	2.0	6.0	110	79	9.8	0.11	0.03	30.20	0.21	0.29	6.6	2.1	0.19	B
	Aug-23	18°C	7.69	135	190	8.4	25.0	208	110	98	172	1.8	5.0	120	94	8.3	0.10	0.03	26.3	0.26	0.26	3.9	2.6	0.12	B
	Sep-23	18°C	7.42	153	230	8.4	21.0	232	124	108	186	2.0	6.0	140	110	6.1	0.11	0.04	24.52	0.20	0.18	3.5	2.4	0.09	B

Annexure-2(K)

24516

Information, Education and Communication (IEC) Plan

DISTRICT GANGA COMMITTEE, DISTRICT BAGESHWAR

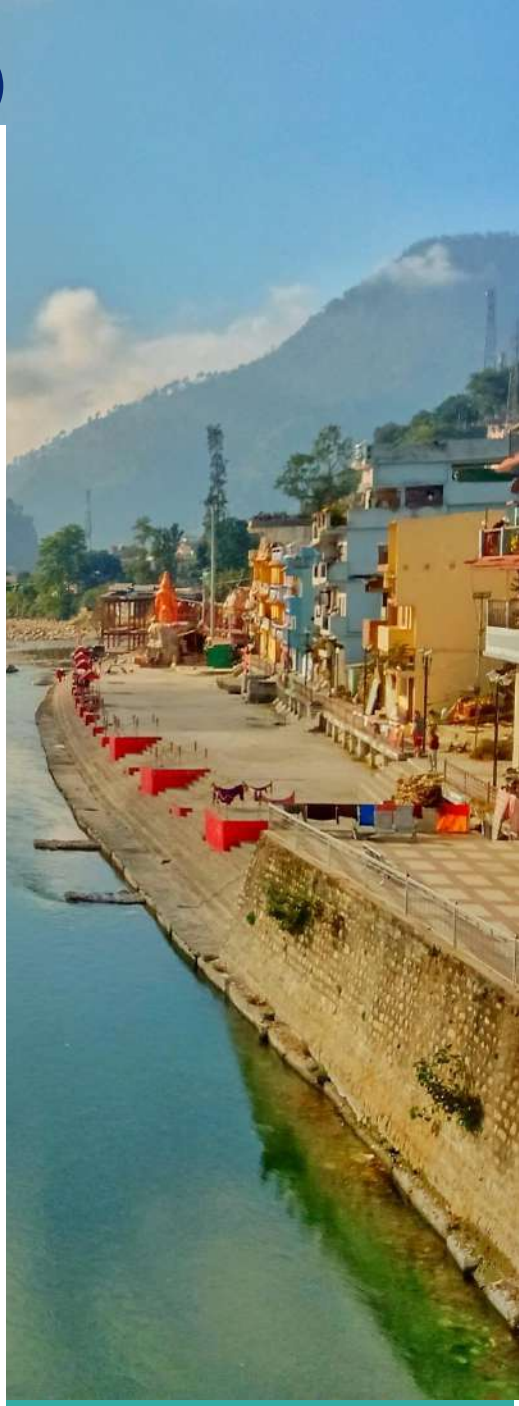

1. Introduction

The Ganges river is sacred in Hinduism and crucial for agriculture, transportation, and industry, providing water for millions. However, pollution, overuse, and climate change pose significant threats. To ensure its sustainability and the well-being of those dependent on it, it is important to protect and conserve the Ganges.

Bageshwar district in Uttarakhand is home to three major tributaries of the Ganges river - Pindar, Saryu, and Gomti. Pindar river originates from the Pindari glacier and flows through the Kumaon region before merging with the Alaknanda river. Saryu river also originates from the Himalayas and flows through the Kumaon region, providing water for irrigation and power generation. Gomti river is another important tributary, flowing through the Garud valley and merging with the Saryu river in the district.

The Pindar, Saryu, and Gomti rivers, which are important tributaries of the Ganges river flowing through Bageshwar district, are facing several threats. The major threats include pollution from domestic, industrial, and agricultural sources, overuse of water resources for irrigation, and climate change-induced changes in precipitation patterns, glacier melting, and river flow. These threats have serious environmental and health implications for the local population and the ecosystems dependent on these rivers. Additionally, deforestation and soil erosion in the catchment areas can lead to siltation of riverbeds and decrease the water-holding capacity of the rivers, exacerbating the impacts of water scarcity and floods. Therefore, there is a need for concerted efforts to conserve and restore the health of these rivers, including measures such as sustainable agriculture practices, afforestation, and better waste management practices.Explain the need for an IEC plan to raise awareness and encourage action to protect and conserve the rivers.

An IEC (Information, Education, and Communication) plan is crucial to raise awareness and encourage action to protect and conserve the Pindar, Saryu, Gomti, and other rivers in Bageshwar district. Through various communication channels such as social media, radio, posters, and community events, the IEC plan can inform the local population about the importance of these rivers, the threats they face, and the actions that can be taken to conserve them. By raising awareness and promoting behavior change, an IEC

plan can encourage individuals and communities to adopt sustainable practices, such as reducing waste generation, promoting eco-friendly tourism, and adopting water conservation measures. The IEC plan can also help mobilize community participation and foster a sense of ownership and responsibility towards the protection and conservation of these vital water sources.

2. Objectives

The objectives of the IEC (Information, Education, and Communication) plan for the protection and conservation of the Pindar, Saryu, Gomti, and other rivers in Bageshwar district are as follows:

- To raise awareness among the local population about the significance of these rivers and the threats they face.
- To encourage behavior change and promote sustainable practices to reduce pollution and conserve water resources.
- To promote community participation and foster a sense of ownership and responsibility towards the protection and conservation of these rivers.
- To mobilize support from key stakeholders such as government agencies, NGOs, and civil society organizations for river conservation efforts.
- To evaluate the impact of the IEC plan in terms of increased awareness, behavior change, and positive impact on the health of the rivers.

3. Target Audience

The target audience for the IEC (Information, Education, and Communication) plan for the protection and conservation of the Pindar, Saryu, Gomti, and other rivers in Bageshwar district includes:

- People/Villagers living in the vicinity of the rivers who are dependent on them for their daily needs.

    1. Demographic characteristics: Typically rural population, primarily engaged in agriculture, animal husbandry, and fishing. Age ranges from children to elderly.
    2. Psychographic characteristics: May have a strong emotional and cultural connection to the rivers. May have limited education and exposure to conservation practices.

- School children who can be educated about the importance of these rivers and encouraged to adopt sustainable practices.

  1. Demographic characteristics: Typically between 6-18 years of age, attending school in the district.
  2. Psychographic characteristics: May be curious and eager to learn. May have limited knowledge about environmental issues but are more receptive to adopting new practices.

- Local businesses and industries that use the rivers for their operations.

  1. Demographic characteristics: A diverse group ranging from small-scale shops to larger industrial enterprises.
  2. Psychographic characteristics: May prioritize economic growth over environmental concerns. May require incentives or regulations to adopt sustainable practices.

- Tourists and visitors who contribute to the pollution of these rivers and can be educated about responsible tourism practices.

  1. Demographic characteristics: Can be a diverse group, ranging from domestic and international tourists to local visitors.
  2. Psychographic characteristics: May prioritize leisure and recreation over environmental concerns. May require education and awareness campaigns to encourage responsible tourism practices.

- Government agencies, NGOs, and civil society organizations working towards river conservation efforts.

  1. Demographic characteristics: Professionals and experts in the field of environmental conservation and sustainable development.
  2. Psychographic characteristics: May have a strong commitment to environmental protection and conservation. May require resources and support from the community and government to carry out their work.

4. Key Messages

- The Ganges river and its tributaries, including Pindar, Saryu, and Gomti, are essential natural resources and play a critical role in the lives and livelihoods of local communities.
- These rivers are facing threats such as pollution, deforestation, and climate change, which pose risks to their health and sustainability.
- The protection and conservation of these rivers are necessary to ensure their continued existence and the well-being of local communities.
- Simple actions, such as reducing plastic waste, conserving water, and promoting responsible tourism, can make a significant impact in preserving these rivers.
- Government agencies, NGOs, and civil society organizations are working towards the conservation of these rivers, and individuals and communities can support their efforts.
- The IEC plan aims to create awareness and educate local populations, including school children, about the importance of river conservation and sustainable practices to ensure the long-term health and well-being of these rivers.

5. Communication Channels

- **Community meetings and events** - these can be organized in villages and towns to engage with local communities and create awareness about the importance of river conservation. (as they can directly engage with the local community and generate awareness and support)
- **Festivals and cultural events** - Festivals and cultural events can be used to spread messages about river conservation to a wider audience. (as they can reach a wide audience and provide an opportunity to promote cultural values and environmental conservation)
- **School programs and workshops** - Programs and workshops can be organized in schools to educate children about the importance of river conservation and encourage them to take action. (as they can help educate the younger generation and create a long-term impact)

- **Collaborations with local organizations** - Collaborating with local organizations such as NGOs, community groups, and educational institutions can help to reach a wider audience and create a larger impact. (as they can leverage existing networks and resources to reach a larger audience)
- **Mobile van campaigns** - A mobile van equipped with audio and visual equipment can be used to travel through villages and towns to engage with communities and create awareness about river conservation. (as they can reach remote areas and increase awareness through interactive activities)
- **Social media and television** - Social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram can be used to disseminate information about river conservation to a younger audience**.** (as it can reach a younger and tech-savvy audience, but may require a sustained effort to maintain engagement)
- **Posters and pamphlets** - These can be distributed in schools, community centers, and public places to create awareness about river conservation. (as they can provide tangible information, but may be less effective in creating behavior change without additional support)
- **Outdoor advertising** - Billboards and hoardings can be used in high-traffic areas to promote river conservation. (as it can create visibility, but may not be as effective in creating engagement or behavior change)
- **Interactive campaigns** - Interactive campaigns such as quizzes and games can be used to engage with audiences and educate them about river conservation. (as they can be effective in creating engagement, but may require significant resources and expertise to develop and implement).

6. Activities and Budget

Community Mobilization:

1. **Community Meetings and Events:**

   Description: Organize community meetings and events to generate awareness and support for the conservation of rivers. These events include rallies, street plays, and cultural activities.

2. **Collaborations with Local Organizations:**

   Description: Collaborate with local organizations, such as NGOs and community-based groups, to leverage existing networks and resources to reach a larger audience.

3. **Festivals and Cultural Events:**

   Description: Use festivals and cultural events to reach a wider audience and promote cultural values and environmental conservation. Bageshwar is confluence of Saryu and Gomti. Uttarayani in month of January is one of the biggest festival. Uttarayani Kauthik at Bageshwar, Kapkot and Baijnath festival will be used for community mobilization and awareness generation.

Capacity Building:

1. **School Programs and Workshops:**

   Description: Conduct programs and workshops in schools to educate students on the importance of river conservation and ways to protect them.

2. **Training Workshops for Community Leaders:**

   Description: Conduct training workshops for community leaders to build their capacity to undertake conservation activities and spread awareness among their communities.

Behavior Change Communication:

1. **Mobile Van Campaigns:**

   Description: Use mobile vans to reach remote areas and conduct interactive activities to increase awareness about river conservation and promote behavior change.

2. **Television:**

   Description: Use television to reach a larger audience and promote behavior change through messages, interviews, and programs related to river conservation.

3. **Social Media:**

   Description: Use social media platforms to reach a younger and tech-savvy audience and promote behavior change through engaging and interactive content.

4. **Posters and Pamphlets:**

   Description: Use posters and pamphlets to provide tangible information about the importance of river conservation and ways to protect them.

5. **Outdoor Advertising:**

   Description: Use outdoor advertising, such as billboards and banners, to create visibility and promote behavior change related to river conservation.

6. **Interactive Campaigns:**

   Description: Use interactive campaigns, such as quizzes and contests, to engage the audience and promote behavior change related to river conservation.

Budgetary Estimates

Event Name	Tentative Date	Tentative Activities	Estimated Cost
International Yoga Day	June 21, 2023	Yoga and meditation sessions near the river, Cleanliness drive, Ganga Run, Painting Competition, Tree plantation drives Ganga Arti	Rs 5,00,000
Azadi ka Amrit Mahotsav	August 15, 2023	Cleanliness drive, community mobilization, cultural events, awareness campaigns, Rally/ Prabhat Pheri , conduct program in schools, wall painting	Rs 5,00,000
Ganga Utsav	November 4, 2023	River cleaning drive, public awareness campaigns, cultural events, ganga arti, Rally/ Prabhat Pheri, conduct program in schools, painting competition and quiz, wall painting	Rs 5,00,000
Swachta hi seva	October 2, 2023	Cleanliness drive in and around the river, community mobilization, awareness campaigns, Rally/ Prabhat Pheri, wall painting	Rs 5,00,000
Uttarayani @ Bageshwar	January	Cleanliness drive in and around the river, community mobilization, awareness campaigns, wall painting	Rs 10,00,000
Uttarayani @ Kapkot	January	Cleanliness drive in and around the river, community mobilization, awareness campaigns, wall painting	Rs 5,00,000
Uttarayani @ Baijnath	January	Cleanliness drive in and around the river, community mobilization, awareness campaigns, wall painting	Rs 5,00,000
Non event specific activities	Throughout year	Information, Education and Communication (IEC) materials including poster and video films for display in schools, villages, wall painting etc.	Rs 5,00,000
		Technical workshops for experts	Rs 2,00,000
		Print advertisements and social media campaign	Rs 2,00,000
		Film screenings	Rs 1,00,000

Note: The above activities and estimates are indicative and can vary depending on the specific context and location.

* वर्ष 2023–24 में जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वृहद वृक्षारोपण, विभागीय वृक्षारोपण की दिनांक 31.10.2023 तक सूचना

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	विभागीय वृक्षारोपण (एफ0डी0ए0, कैम्पा, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा बांस रोपण आदि को सम्मिलित करते हुए				वृहद वृक्षारोपण की प्रगति				योग विभागीय + वृहद वृक्षारोपण की प्रगति				कुल उपलब्धि का प्रतिशत	
			लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि			
			क्षेत्रफल (है0)	पौध संख्या (लाख में)	क्षेत्रफल (है0)	पौध संख्या (लाख में)	क्षेत्रफल (है0)	पौध संख्या (लाख में)	क्षेत्रफल (है0)	पौध संख्या (लाख में)	क्षेत्रफल (है0) (4+8)	पौध संख्या (लाख में) (5+9)	क्षेत्रफल (है0) (6+10)	पौध संख्या (लाख में) (7+11)	है0 % में	पौध संख्या % में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बागेश्वर	बागेश्वर वन प्रभाग	395.28	3.499	395.28	3.499	1363.99	6.51	968.644	4.620	1759.27	10.009	1363.924	8.119	77.528	81.117

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

शिवि
19/10/2023

आदेश

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के बिन्दु संख्या 56 के क्रम में जनपद बागेश्वर में गंगा नदी की सहायक नदियों से दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों हेतु नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष को उनके अधिकारिता क्षेत्र हेतु एतत् द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

नोडल अधिकारी गंगा नदी की सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे तथा इन सहायक नदियों के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय करेंगे। ऐसे नोडल अधिकारी यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे इस आदेश की अवहेलना को उपचारात्मक कार्यवाही हेतु जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के ध्यान में ला सकते हैं।

(अनुराधा पाल)
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, बागेश्वर/
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या–36/ दिनांकः 17.10.2023।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.नगरपालिका अध्यक्ष, बागेश्वर।
2.नगर पंचायत अध्यक्ष, कपकोट/गरूड़।

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

पंजीयन संख्या 1753
दिनांक 19/10/2023
161

(अनुराधा पाल)
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, बागेश्वर/
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्र० प्रशा० अधि० प्र० व० अ०

आदेश

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के बिन्दु संख्या 56 के क्रम में जनपद बागेश्वर में गंगा नदी की सहायक नदियों से दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों हेतु नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष को उनके अधिकारिता क्षेत्र हेतु एतत् द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

नोडल अधिकारी गंगा नदी की सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे तथा इन सहायक नदियों के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय करेंगे। ऐसे नोडल अधिकारी यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे इस आदेश की अवहेलना को उपचारात्मक कार्यवाही हेतु जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के ध्यान में ला सकते हैं।

(अनुराधा पाल)
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, बागेश्वर/
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या–36 / दिनांकः 17.10.2023।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.नगरपालिका अध्यक्ष, बागेश्वर।

2.नगर पंचायत अध्यक्ष, कपकोट/गरूड़।

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनुराधा पाल)
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, बागेश्वर/
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

शिविर
19/10/2023

24528

आदेश

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के बिन्दु संख्या 56 के क्रम में जनपद बागेश्वर में गंगा नदी की सहायक नदियों के आस–पास के क्षेत्रों में प्रत्येक ग्रामसभा के ग्राम प्रधान को उनके अधिकारिता क्षेत्र हेतु एतत् द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

नोडल अधिकारी गंगा नदी की सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे तथा इन सहायक नदियों के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय करेंगे। ऐसे नोडल अधिकारी यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे इस आदेश की अवहेलना को उपचारात्मक कार्यवाही हेतु जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के ध्यान में ला सकते हैं।

(अनुराधा पाल)
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, बागेश्वर/
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या– 35/ दिनांकः 17.10.2023।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित–

1.सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, बागेश्वर। DFO
2.मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
3.जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपिः– निम्न को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति संबंधितों को उपलब्ध कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें–

1.खण्ड विकास अधिकारी, बागेश्वर/गरूड़/कपकोट।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, बागेश्वर।

(अनुराधा पाल)
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, बागेश्वर/
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

जीवन संख्या 1754
दिनांक 19/10/2023
आवश्यक कार्यवाही 167
वि० प्रशा० अधि० प्र० वि० अ०

आदेश

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के बिन्दु संख्या 56 के क्रम में जनपद बागेश्वर में गंगा नदी की सहायक नदियों से दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों हेतु नगरपालिका अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष को उनके अधिकारिता क्षेत्र हेतु एतत् द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

नोडल अधिकारी गंगा नदी की सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे तथा इन सहायक नदियों के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय करेंगे। ऐसे नोडल अधिकारी यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे इस आदेश की अवहेलना को उपचारात्मक कार्यवाही हेतु जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के ध्यान में ला सकते हैं।

(अनुराधा पाल)
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, बागेश्वर/
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या–36 /

दिनांकः 17.10.2023।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.नगरपालिका अध्यक्ष, बागेश्वर।

2.नगर पंचायत अध्यक्ष, कपकोट/गरूड़।

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनुराधा पाल)
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, बागेश्वर/
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

Annexure-2(N)

Tributary wise plan District Bageshwar(District Ganga Committee)

Tributary wise plan District Bageshwar(District Ganga Committee)

24531

1. The major river saryu originates from surmool(saudhara) in block kapkote from where it travels a distance of approximately 75 km,s finally coinciding with river Gomti at district headquaters Bageshwar.

2. The river is linked with spritual and emotional attachement of people in whole of kumaon region and the holy Baghnath temple is located on its banks.

3- Urban pollution load on the river is a major cause of concern for ecological balance of the river.

Tributary wise plan District Bageshwar(District Ganga Committee)

24532

1. It is estimated that the major towns along the river and its tributaries generate approximately 9.0 mld sewer.

2. Total of 9.0 mld sewerage generation gap is to be treated in district ganga action plan.

3- The schemes under GAP were classified into core schemes (interceptions and diversions schemes and S.T.P).

Tributary wise plan District Bageshwar(District Ganga Committee)

24533

1. Estimates and detailed project report of sewerage generation and its treatment are under preparation in J.I.C.A programme for inclusion in GAP analysis.

2. Some breif details of Bageshwar sewerage scheme is attached in this presentation and pre-planning for the same is under process for kapkote nagar panchayat covered under (amrut 2.0) and garur nagar panchayat will be covered in (amrut 2.0) programme respectively.

.

Tributary wise plan District Bageshwar(District Ganga Committee)

1. There is no scheme at present in town Bageshwar and presently individual household soak pits are in use in the entire district and its perry urban areas for disposing off domestic sewer, once the scheme gets financial and administrative approval after allotement of funds form government of Uttarakhand it will be immensely effective in treatment of domestic effluent and helping in reducing the pollution burden on river saryu, thus achieving the goals and targets of district ganga committee which inturn is solely responsible for clean ganga campaing.

BAGESHWAR SEWERAGE SCHEME

24535

(Proposed under Hon'ble CM Declaration No. – 885/2017)

Block - Bageshwar **District - Bageshwar**

Implementing Agency

E.E., CONSTRUCTION DIVISION, UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM, BAGESHWAR

BAGESHWAR NAGAR PALIKA PARISHAD IN GOOGLE EARTH

24536

Latitude - 29°50'12.89"N
Longitude - 79°46'20.51"E

Bageshwar is a Nagar Palika Parisad in the Bageshwar district. It is situated at about 188 km from Pantnagar Airport & 154 km from Kathgodam Railway Station

WARD BOUNDARY (WARD – 1 to 11)

24537

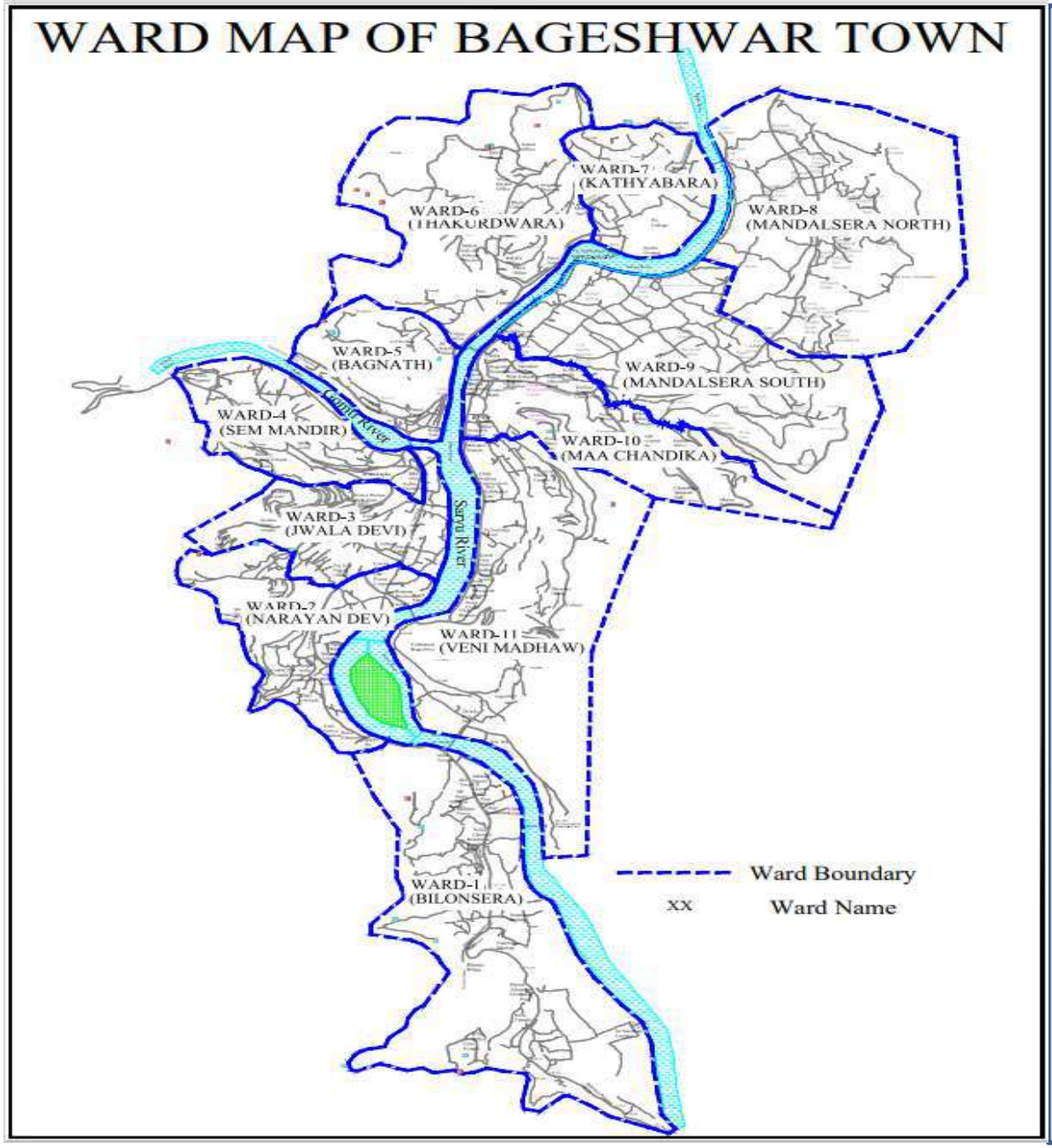

WARD NAME

WARD 1 - BILONASERA

WARD 2 – NARAYNDEV

WARD 3 - JWALADEVI

WARD 4 - NANDIGAON

WARD 5 - BAGHNATH

WARD 6 - THAKURDUWARA

WARD 7 – KATHAYATWARA

WARD 8 - MANDALSERA NORTH

WARD 9 - MANDALSERA SOUTH

WARD 10 - MAA CHANDIKA

WARD 11 - VENIMADHAV

POPULATION & SEWER DISCHARGE

24538

Year	Present Year - 2023	Base Year - 2025	Intermediate Year - 2040	Ultimate Year - 2055
Population	45196	46488	56182	65878
Sewer Discharge	4.9 MLD	5.02 MLD	6.07 MLD	7.12 MLD

ZONE BOUNDARY

24539

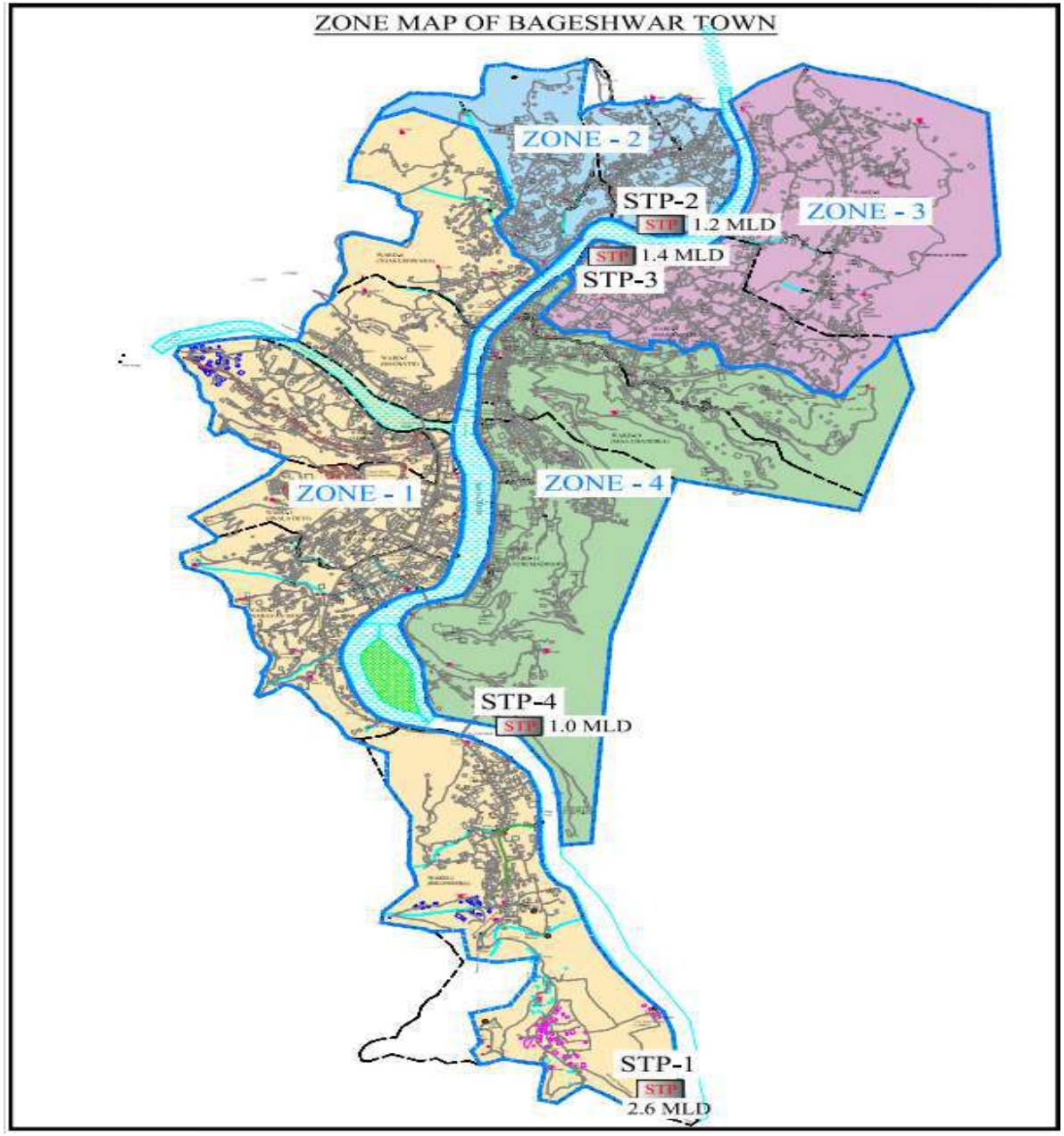

COVERAGE OF WARD UNDER 4 ZONES

ZONE 1 - Ward-1, Ward-2, Ward-3, Ward-4, Ward-5 & Ward-6 (PART)

ZONE 2 - Ward-6 (PART) & Ward-7

ZONE 3 - Ward-8 & Ward-9 (Part)

ZONE 4 – Ward-9 (Part), Ward-10 & Ward-11

PROPOSAL OF SCHEME

24540

SEWER NETWORK

Total Length of Trunk and Branch Sewer Network is 130 km.

HOUSE HOLD SEWER CONNECTION

Proposed - 4633 Nos.

SEWERAGE PUMPING STATION

Proposed - 10 Nos.

SEWERAGE ZONES

Proposed - 4 Nos.

SEWER TREATMENT PLANT

Proposed - 4 Nos. (Zone 1 – 2.6 MLD, Zone 2 – 1.2 MLD, Zone 3 – 1.4 MLD & Zone 4 – 1.0 MLD)

APPROX. ESTIMATED COST OF SEWERAGE SCHEME

– Rs. 148.00 CRORES

GARUR NAGAR PANCHAYAT

24541

Block - Garur **District - Bageshwar**

Implementing Agency

E.E., CONSTRUCTION DIVISION, UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM, BAGESHWAR

GARUR NAGAR PANCHAYAT IN GOOGLE EARTH

24542

Latitude - 29°50'12.89"N
Longitude - 79°46'20.51"E

Garur is a Nagar Panchayat in the Bageshwar district. It is situated at about 188 km from Pantnagar Airport & 154 km from Kathgodam Railway Station.It is situated along the river gomti which is the mainstay of water and irrigation in this entire area.

ZONE BOUNDARY

24543

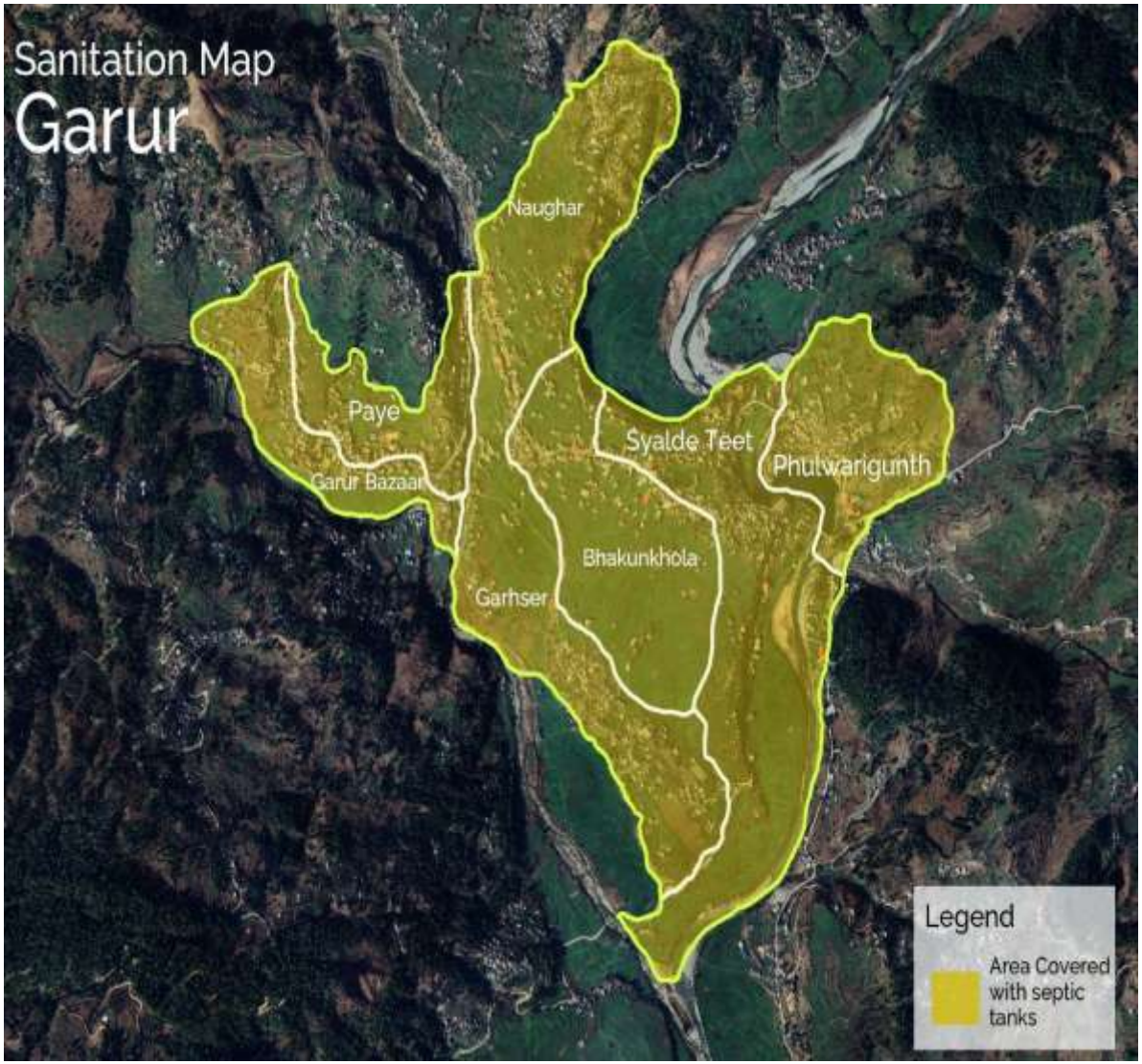

COVERAGE OF WARD UNDER GARUR

1.NAGARPANCHAYAT

2.NAUGHAR

3.PAYE

4.GARUR BAZAR

5.GARKHET

6.GARSER

7.BHAKUNKHOLA

8.SYAIDETEET

9.PHULWARIGUNTH

PROPOSAL OF SCHEME

24544

SEWER NETWORK

Estimation of sewer network will be taken up under amrut2.0 programme respectively .It is calculated that a total of 0.9mld domestic sewer will be generated in whole of the nagar panchayat garur by the year 2040,thus a total of 0.9 mld sewer is to treated and addresed under district ganga committee proceedings.

HOUSE HOLD SEWER CONNECTION

Proposed - 7623 Nos.

KAPKOTE NAGARPANCHAYAT

24545

Block - Kapkote **District - Bageshwar**

Implementing Agency

E.E., CONSTRUCTION DIVISION, UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM, BAGESHWAR

KAPKOT(N.P) LOCATION ON MAP

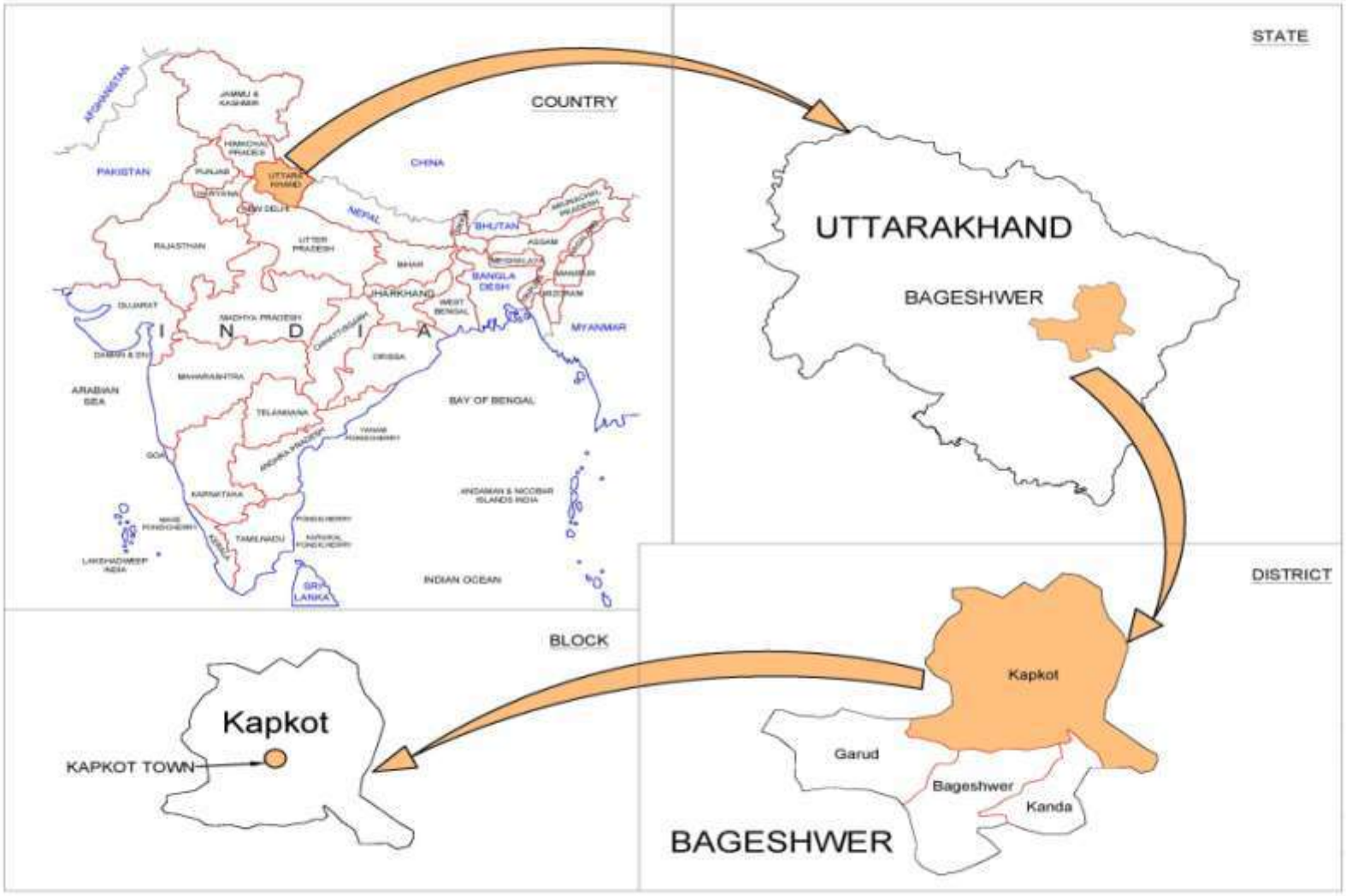

KAPKOT NAGAR PANCHAYAT IN GOOGLE EARTH

24547

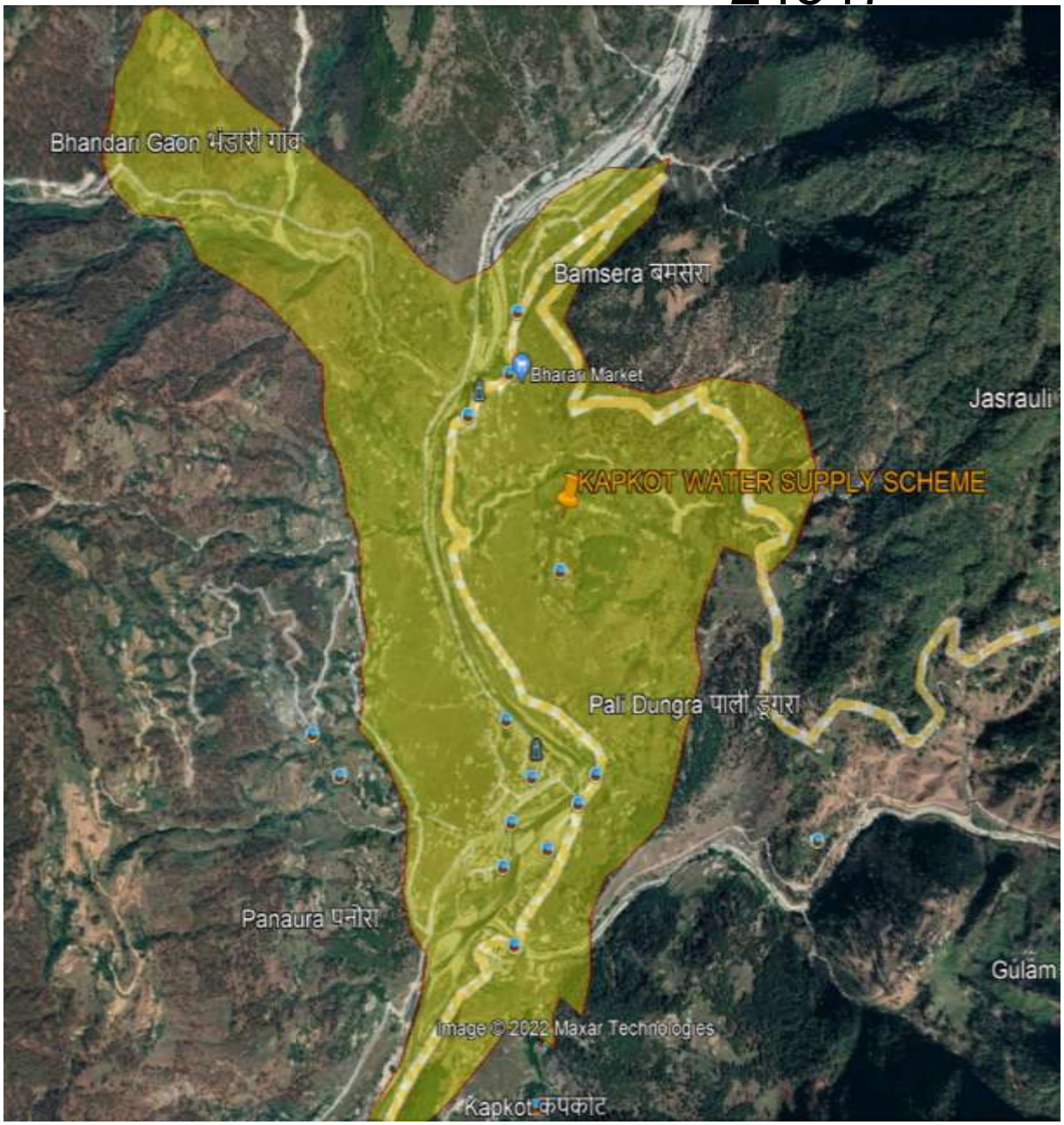

Latitude - 29°56'56.63"N
Longitude - 79°54'5.32"E

Kapkot is a Nagar Panchayat in the Bageshwar district. It is situated at about 215 km from Pantnagar Airport & 180 km from Kathgodam Railway Station.It is located in upstream of river saryu which is the mainstay of this whole area with respect to drinking water and irrigation activities.

WARD BOUNDARY

24548

KAPKOT NAGAR PANCHAYAT :- WARD – 1 to 7

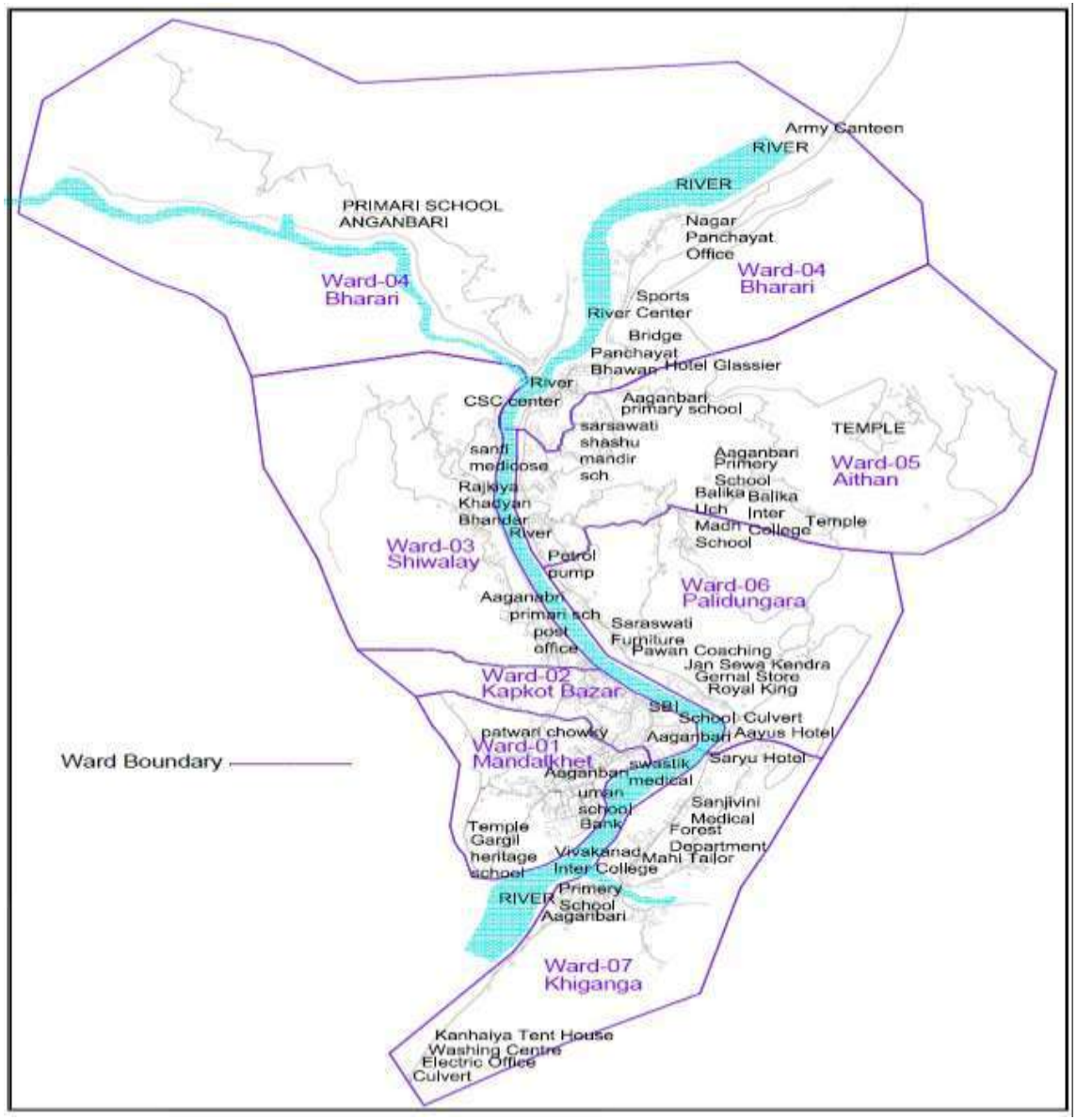

WARD NAME

WARD 1 - MANDALKHET

WARD 2 – KAPKOT BAZAR

WARD 3 - SHIWALAY

WARD 4 - BHARARI

WARD 5 - AITHAN

WARD 6 - PALIDUNGARA

WARD 7 - KHIGANGA

PROPOSAL OF SCHEME

24549

SEWER NETWORK

Estimation of sewer network will be taken up under amrut2.0 programme respectively .It is calculated that a total of 1.9mld domestic sewer will be generated in whole of the nagar panchayat Kapkote by the year 2040,thus a total of 1.9 mld sewer is to treated and addresed under district ganga committee proceedings.

HOUSE HOLD SEWER CONNECTION

Proposed - 17968 Nos.

Thanks